मध्यप्रदेश शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2011–12

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2011–12

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश

मंत्री, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	:	श्री कैलाश विजयवर्गीय

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त	:	श्री आर. परशुराम
प्रमुख सचिव	:	श्री मदन मोहन उपाध्याय
अपर सचिव	:	श्री ओ.पी.तंवर
अवर सचिव	:	श्री टी.आर.काटवाले

संचालनालय एवं निगम

संचालनालय

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	:	श्री अनुराग श्रीवास्तव, (आई.एफ.एस.) संचालक

निगम

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम	:	श्री राकेश श्रीवास्तव (आई.ए.एस.) प्रबंध संचालक

अनुक्रमणिका

क्रमांक संकाय पृष्ठ

.....

संचालनालय

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

भाग–1 (1) विभाग के दायित्व
(2) विभागीय संरचना
(3) विभागीय अमला
(4) न्यायालयीन कार्य
(5) नियुक्तियां/पदोन्नतियां एवं स्थानांतरण
(6) विभागीय जांच
(7) विशेषताएँ
(पद्ध विकास
(पपद्ध प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता
(पपपद्ध फसलोत्तर प्रबंधन
(पअद्ध सांख्यिकी

भाग–2 बजट प्रावधान
आयोजना
आयोजनेत्तर

भाग–3 **विभाग के कार्य क्षेत्र में निम्नांकित विषय सम्मिलित है–**
क. राज्य पोषित येाजनाएं
ख. केन्द्र पोषित/केन्द्र प्रवर्तित येाजनाएं
1. राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन
2. नेशनल मिशन ऑन माईक्रो इरीगेशन
3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
4. म.प्र. राज्य औषधीय पौध मिशन

ग. विश्व बैंक द्वारा संचालित योजनाएँ
घ. खाद्य प्रसंस्करण

भाग–4 शिकायतों का निराकरण
भाग–5 अभिनव योजना
भाग–6 विभागीय प्रकाशन
तकनीकी साहित्य

निगम

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

* स्थापना, उद्वेश्य,मुख्य गतिविधियां, कृषि आदान विपणन व्यवस्था प्रशासकीय संरचना
* मुख्य उपलब्धियां
* विशेष उपलब्धियॉ–राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार
* भावी योजनाएं

परिशिष्ट– 1, 1.1, 2, एवं 3

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

दूरभाष –0755–2578491

फैक्स नम्बर – 0755–2768159

ई–मेल – कपतीवतज/उचण्दपबण्पद

विभागीय ढाँचा

मंत्री
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

कृषि उत्पादन आयुक्त

प्रमुख सचिव
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

संभाग स्तर पर
उप संचालक उद्यान

जिला स्तर पर
सहायक संचालक उद्यान

उद्देश्य

देश को आगे बढ़ाना है तो कृषकों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना होगा ताकि किसान ऊपर उठे और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभएँ। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि देश/किसी भी प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति कृषकों के उत्थान से ही समृद्ध हो सकती है, जिसके लिये प्रदेश के परिवेश में उद्यानिकी एक शसक्त माध्यम है।

प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्म निर्भर होकर देश में अग्रणी भूमिका अदा करे, इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न जनोन्मुखी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी संपदा में वृद्धि करने के लिये संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ–साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण, सब्जियों, मसाले, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज/कन्द उपलब्ध हो सकें, साथ ही कृषकों को संग्रहण, परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके।

उद्यानिकी के क्षेत्र में विस्तार हेतु योजनाओं को आधुनिक तकनीकी को सतत् अपनाते हुए उत्पादन, प्रबंधन एवं निर्यात के क्षेत्र में उपयोगी बनाने की महती आवश्यकता है।

उद्यानिकी फसलों का महत्व मनुष्य के भोजन में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति, कृषकों की नगद आय बढ़ाने एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ–साथ पर्यावरण में सुधार करना है। **आहार विशेषज्ञों की राय के अनुसार** मनुष्य के उत्तम स्वास्थ्य एवं पोषण आहार के लिये प्रतिदिन फल, सागभाजी एवं मसालों की अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के पोषण आहार जैसे– फल, सब्जी, मसाले आसानी से उपलब्ध हो सके, इसकी पूर्ति हेतु विभाग क्षेत्र विस्तार के साथ–साथ उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि तथा भण्डारण एवं विपणन की अधोसंरचना विकास हेतु संकल्पित होकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

स्थापना :

मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करने एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 फरवरी, 1982 को राज्य शासन, कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय की स्थापना की गई।

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को मिलाकर, कृषि विभाग से पृथक कर, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 22 दिसंबर, 2005 को जारी की गई।

भाग–1

1. विभाग के दायित्व

i. उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता में वृद्धि

ii. उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण

iii. सब्जी एवं मसाला फसलों का विकास

iv. औषधीय एवं सुगंधित फसलों का विकास

v. आधुनिकतम तकनीकी का प्रचार–प्रसार एवं कृषकों को प्रशिक्षण एवं भ्रमण

vi. उद्यानिकी उत्पादन का भण्डारण, विपणन एवं प्रसंस्करण व्यवस्था का समन्वय

2. विभागीय संरचना

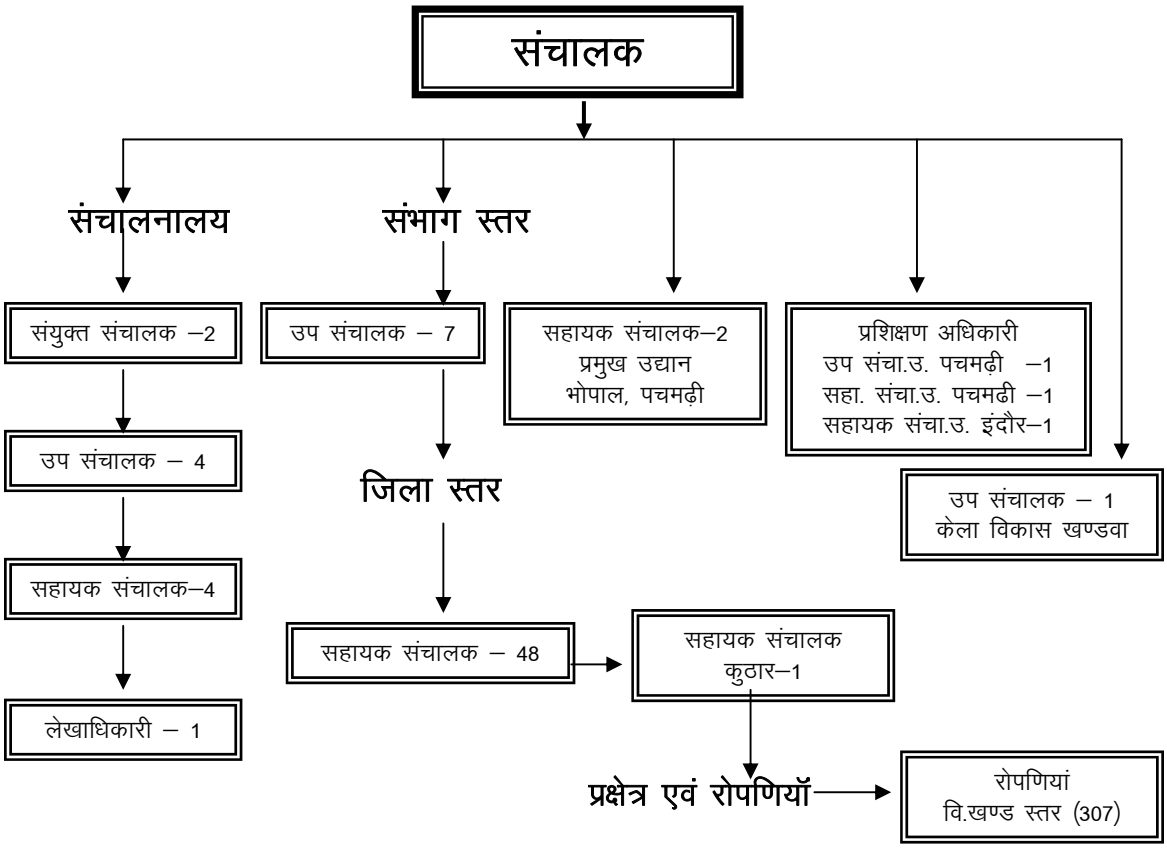
संचालक
संचालनालय
संभाग स्तर
संयुक्त संचालक –2
उप संचालक – 4
सहायक संचालक–4
लेखाधिकारी – 1
उप संचालक – 7
जिला स्तर
सहायक संचालक – 48
सहायक संचालक–2
प्रमुख उद्यान
भोपाल, पचमढ़ी
प्रशिक्षण अधिकारी
उप संचा.उ. पचमढ़ी –1
सहा. संचा.उ. पचमढी –1
सहायक संचा.उ. इंदौर–1
उप संचालक – 1
केला विकास खण्डवा
सहायक संचालक
कुठार–1
प्रक्षेत्र एवं रोपणियॉ
रोपणियां
वि.खण्ड स्तर (307)

3. विभागीय अमला

उद्यानिकी संचालनालय में संचालक उद्यान विभागाध्यक्ष हैं, जिन्हें प्रशासनिक एवं तकनीकी सहयोग देने के लिए माह जनवरी 2012 की स्थिति में राज्य स्तर पर दो संयुक्त संचालक उद्यान, चार उप संचालक उद्यान, चार सहायक संचालक उद्यान एवं एक लेखाधिकारी का पद स्वीकृत है । प्रदेश के केला विकास कार्यक्रम के लिए खण्डवा में एक उप संचालक उद्यान (केला) का पद स्वीकृत है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र पचमढ़ी में एक उप संचालक व फल संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर में एक सहायक संचालक तथा संभागीय स्तर पर 7 उप संचालक उद्यान एवं जिला स्तर पर 48 सहायक संचालक उद्यान के पद स्वीकृत हैं। दिनांक 31.01.2012 की स्थिति में भरे/रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :–

पद		स्वीकृत	भरे पद	रिक्त पद
संचालक	37400–67000+8700	1	1	0
संयुक्त संचालक	15600–39100+7600	2	2	0
उप संचालक उद्यान	15600–39100+6600	13	13	0
सहायक संचालक उद्यान	15600–39100+5400	57	50	7
लेखाधिकारी	15600–39100+5400	1	1	0
वरिष्ठ निज सहायक	9300–34800+4200	1	1	0
निज सहायक	9300–34800+3600	4	4	0
शीघ्रलेखक	5200–20200+2800	9	7	2
अधीक्षक	9300–34800+3600	2	2	0
सहायक अधीक्षक	9300–34800+3200	1	1	0
संभागीय लेखापाल	5200–20200+2800	1	1	0
सहायक ग्रेड–1	5200–20200+2800	5	5	0
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300–34800+3200	2	2	0
वरि.उ.वि.अधि.	9300–34800+3200	306	177	129
उ.वि.अधिकारी	5200–20200+2800	79	62	17
ग्रा.उ.वि.अधिकारी	5200–20200+2400 5200–20200+2100	1099	741	358
लेखापाल/संपरीक्षक	5200–20200+2400	32	7	25
सहायक ग्रेड–2	5200–20200+2400	45	40	5
सहायक ग्रेड–3	5200–20200+1900	378	313	65
वाहन चालक नियमित	5200–20200+1900	22	22	0
भृत्य/चौकीदार	4440–7440+1300	118	96	22
प्रयोगशाला सहायक	5200–20200+1900	1	1	0
माली+लेव बॉय नियमित	4440–7440+1300	549	549	–
माली सुपर न्यूमरी	4440–7440+1300	317	317	0
प्रयोगशाला परिचालक	4440–7440+1300	1	1	0
वाहन चालक सांख्येत्तर	5200–20200+1900	21	21	0
कुल		**3067**	**2437**	**630**

4. न्यायालयीन कार्य :

जनवरी, 2012 की स्थिति में कुल 106 न्यायालयीन प्रकरण थे, जिनमें से 62 प्रकरण निर्णित हुये हैं तथा 44 प्रकरण विचाराधीन हैं।

5. नियुक्तियां/पदोन्नतियां एवं स्थानंतरण

i. वर्ष 2011–12 के दौरान प्रथम श्रेणी में पांच अधिकारियों को पदोन्नति दी गई, द्वितीय श्रेणी में 23 अधिकारी एवं तृतीय श्रेणी में 66 कर्मचारियेां को पदोन्नति दी गई।

ii. वर्ष 2011–12 में तृतीय श्रेणी के 48 एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 49 कर्मचारियों को स्थाई किया गया।

iii. वर्ष 2011–12 में चतुर्थ श्रेणी के पद पर 1 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई।

iv. 13 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई।

v. 2 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को, 227 तृतीय श्रेणी के एवं 530 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिया गया।

vi. प्रशासनिक आधार पर प्रथम श्रेणी में 4, द्वितीय श्रेणी में 16 तथा तृतीय श्रेणी में 44 प्रशासनिक आधार एवं चतुर्थ श्रेणी 2 स्वेच्छा पर इस प्रकार कुल 66 स्थानान्तरण किये गये।

6. विभागीय जांच

राजपत्रित श्रेणी के कुल 15 विभागीय जांच के प्रकरण विचाराधीन हैं जिनमे से 4 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है 11 प्रकरण विचाराधीन हैं। अराजपत्रित श्रेणी के 48 प्रकरण थे, जिनमें से 12 प्रकरणो का निपटारा किया गया, 36 प्रकरण विचाराधीन हैं।

7. विशेषताएं

प विकास

- प्रदेश में उद्यानिकी संपदा में वृद्वि के लिए फल, सब्जी, मसाले, पुष्प एवं औषधि के रकबे एवं उत्पादन में वृद्वि करना, टॉप वर्किंग कार्य द्वारा देशी बेर, ऑवला एवं आम के पौधों को उन्नतशील किस्म में परिवर्तित करना।
- टपक सिंचाई द्वारा जल का समुचित उपयोग कर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना है।
- गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन के लिए प्रदेश में म.प्र. फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 एवं नियम, 2011 लाया गया है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 को जारी कर कार्यवाही प्रचलन में है।
- प्रदेश में स्थापित शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों के उन्नयन के लिये आधुनिक तकनीकी का उपयोग राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से नर्सरी रेटिंग की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्ष 2011–12 में शासकीय क्षेत्र की 19 एवं निजी क्षेत्र की 11 रोपणियों की रेटिंग कराई गई है।

- प्रदेश में शासकीय क्षेत्र में 307 तथा निजी क्षेत्र में 46 रोपणियाँ स्थापित है।

पप प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता

विभागीय अमले को समय समय पर उन्नतशील आधुनिकतम तकनीकी की जानकारी देने हेतु 3 माली प्रशिक्षण केन्द्र तथा पचमढ़ी में एक अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है, जिनमें उद्यान अधीक्षक, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं मालियों को उद्यानिकी के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। साथ ही अन्य प्रदेशों में प्रचलित विधाओं/उन्नत तकनीकी आदि के प्रशिक्षण हेतु दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है। कृषकों को उन्न्त किस्म की खेती के संबंध में जानकारी देने हेतु ग्रीन हाऊस तकनीकी, टपक सिंचाई पद्धति जैसी उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को भ्रमण कराया जाता है। कृषकों के ज्ञान मे वृद्धि के लिये प्रदेश के संभागों एवं जिलों में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनियों का सतत् आयोजन किया जाता है।

पपप फसलोत्तर प्रबंधन

विभाग द्वारा उद्यानिकी के विकास हेतु क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा दिया गया। वर्तमान में बाजार में उत्पाद की उपलब्धता, भण्डारण, पैकिंग एवं विपणन हेतु फसलोत्तर प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन योजना अंतर्गत केवल मिशन जिलों के लिये क्रियान्वयन थी नवीन योजना सभी जिलों के लिये वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना का विकास कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की सेल्फ लाईफ बाढ़ाना, कृषकों के उत्पादों का सही मूल्य उपलब्ध करवाना, प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि उद्यानिकी फसलों की खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके।

फसलोत्तर प्रबंधन के अंतर्गत 37 पैक हाऊस, 10 कोल्ड स्टोरेज, इत्यादि के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।

पअ सांख्यिकी

प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन की स्थिति वर्ष 2010–11 में निम्नानुसार रही है :–

क्रमांक	फसल का नाम	क्षेत्रफल हे. में	उत्पादन टन में
अ– फल			
1	आम	16728	150552
2.	संतरा	38049	684882
3.	नीबू	6438	103008
4.	मौसम्बी	589	10602
5.	केला	38085	1719576
6.	अंगुर	589	14725
7.	अमरूद	9687	280826
8.	पपीता	1965	227013
9	अन्य फल	20250	182250
योग फल		**132380**	**3373434**
ब– सब्जी			
1	आलू	61967	743000
2.	शकरकंद	5139	29652
3.	प्याज	58306	1021521
4.	टमाटर	27753	346912
5.	बैगन	23413	280956
6.	पत्तागोभी	8976	179520
7.	फूलगोभी	12243	195888
8.	भिण्डी	10050	60300
9.	मटर	22842	251262
10.	अन्य सब्जी	52991	589629
योग सब्जी		**283680**	**3698640**
स– मसाला			
1	मिर्च	68422	84843
2.	अदरक	9112	12118
3.	हल्दी	1535	614
4.	लहसुन	54030	241514

क्रमांक	फसल का नाम	क्षेत्रफल हे. में	उत्पादन टन में
5.	धनिया	169789	71311
6.	अन्य मसाला	62962	71776
	योग मसाला	**365850**	**482176**
द–	औषधीय एवं सुगंधित पौधे	33585	201510
ई–	पुष्प	7660	6000
	महायोग	**823155**	**7761760**

नोटः– आंकड़े विभागीय आधार पर अनुमानित है।

भाग–2

बजट प्रावधान

आयोजना

वर्ष 2009–10 में आयोजना अंतर्गत कुल रूपये 9841.62 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2010–11 में आयोजना अंतर्गत कुल रूपये 12755.47 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2011–12 में आयोजना अंतर्गत रूपये 17157.54 लाख का प्रावधान है, जिसमें से सामान्य योजनांतर्गत रूपये 11259.44 लाख, आदिवासी उपयोजनांतर्गत रूपये 3608.15 लाख एवं अनुसूचित जाति उपयोजनांतर्गत रूपये 2289.95 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर, 2011 तक आयोजना अंतर्गत सामान्य में रूपये 8594.77 लाख, आदिवासी उपयोजना में रूपये 2895.20 लाख एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में रूपये 1611.88 लाख, इस प्रकार कुल रूपये 13101.85 लाख का व्यय हुआ है ।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	व्यय			
	अनुसूचित जाति उप योजना	अनुसूचित जनजाति उप योजना	सामान्य	योग
2009–10	1017.75	2321.12	6502.75	9841.62
2010–11	1741.24	2858.92	8155.31	12755.47
2011–12 (दिसम्बर, 2011)अंत तक	1611.88	2895.20	8594.77	13101.85

आयोजनेत्तर

वर्ष 2009–10 में आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत 5241.63 लाख व्यय किये गये हैं । वर्ष 2010–11 में आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत 6937.13 लाख व्यय किये गये हैं । वर्ष 2011–12 में रूपये 8301.94 लाख का प्रावधान है जिसके विरूद्व माह दिसम्बर 2011 तक रूपये 5755.39 लाख व्यय हुआ है ।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	व्यय
2009–10	5241.63
2010–11	6937.13
2011–12 (दिसम्बर, 2011)अंत तक	5755.39

भाग–3

विभाग के कार्यक्षेत्र में निम्नांकित विषय सम्मिलित हैं :–

उद्यानिकी जिसमें फल, साग–सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्वि तथा प्रसंस्करण हेतु कार्य किया जाता है।

क. राज्य पोषित योजनाएं

1. फलपौध रोपण अनुदान योजना
2. अंगूर की खेती
3. बाड़ी (किचन गार्डन) के लिए आदर्श कार्यक्रम
4. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना,
5. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना,
6. प्रदर्शन/मिनिकिट की योजना,
7. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना,
8. व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना
9. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
10. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण योजना
11. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम
12. प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार–प्रसार योजना

ख. केन्द्र पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

I. राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन
II. नेशनल मिशन ऑन माईक्रो इरीगेशन योजना
III. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
IV. मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन

ग. विश्व बैंक द्वारा संचालित योजनाएं

I. मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट

घ. खाद्य प्रसंस्करण

1.	विभाग द्वारा प्रकाशित अधिनियम और नियम	: म.प्र. फल–पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010
2	विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय	: संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
3	अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम	: म.प्र.राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
4	ऊपर (4) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय	: कुछ नहीं

जिला पंचायतों के माध्यम से उद्यानिकी योजनाओं का क्रियान्वयन
जिला सेक्टर

प्रदेश में पंचायती राज लागू किये जाने के फलस्वरूप जिला पंचायतों के माध्यम से उद्यानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित येाजनाएं सौंपी गई हैं :–

1. फल पौध रोपण अनुदान योजना

प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर यह योजना प्रदेश में संचालित है । इस योजना में कृषक द्वारा बैंक ऋण लेने पर अमरूद, अनार, ऑवला, आम, संतरा, मौसम्बी, नीबू, केला, पपीता एवं अंगूर के रोपण पर नाबार्ड के इकाई लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है, किन्तु जो कृषक बैंक ऋण नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें विभागीय फलोद्यान योजना के अन्तर्गत केवल संतरा,मौसम्बी,अमरूद,अनार, आंवला, आम एवं नीबू पर 25 प्रतिशत अनुदान नाबार्ड के इकाई लागत पर दिया जाता है । रोपण हेतु फलों की भूमि एवं जलवायु की अनुकूलता के आधार पर ऑवला 50 जिले, अमरूद 50 जिले, अनार 9 जिले, आम 40 जिले, संतरा 22 जिले,नीबू 33 जिले, केला 9 जिले,पपीता 27 जिले एवं अंगूर 8 जिलों का चयन किया जाकर योजना क्रियान्वित है ।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	10021.50	9549.55	835.45	735.49	14073
2	2010–11	9980.00	9773.84	770.12	631.70	13941
3	2011–12 दिसम्बर, 11	9996.5	9157.06	802.03	507.27	12410

1.1 टॉप वर्किंग

आम, ऑवला एवं बेर के देशी पौधों को टॉप वर्किंग विधि द्वारा उन्नतशील किस्मों में बदला जाता है । यह कार्य विभागीय अमले एवं ग्रामीण बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर कराया जाता है । ग्रामीण बेरोजगार युवकों द्वारा कराये गये कार्य पर प्रति सफल ग्राफ्ट (पौधा) हेतु 10 रूपये पारिश्रमिक दिया जाता है ।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	130564	148578	–	–	19304
2	2010–11	150530	136691	–	–	13639
3	2011–12 दिसम्बर, 11	131179	106440	–	–	12922

2. अंगूर की खेती

अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश के हरदा, धार, खरगौन, गुना, अशोकनगर, उज्जैन, देवास एवं रतलाम जिले के कृषकों को टेबलग्रेप्स के लिये बैंक ऋण पर नावार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत रूपये 391060 प्रथम वर्ष का 25 प्रतिशत रूपये 98000 का

अनुदान तथा द्वितीय वर्ष भी लागत रूपये 66560 का 25 प्रतिशत अनुदान रूपये 16640 इस प्रकार कुल प्रति हेक्टर रूपये 4.57,620 का 25 प्रतिशत रूपये 1,14,640 का अनुदान देय है। इसी प्रकार वायनरी ग्रेप्स के लिये बैंक ऋण पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत रूपये 483860 का प्रथम वर्ष 25 प्रतिशत रूपये 121000 का अनुदान तथा द्वितीय वर्ष भी लागत लागत रूपये 56560 का 25 प्रतिशत अनुदान रूपये 14140 इस प्रकार कुल लागत रूपये 540420 का 25 प्रतिशत रूपये 135140 का अनुदान दिया जाता है।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	60.73	43.77	66.47	32.27	45
2	2010–11	83.77	7.82	87.34	7.52	7
3	2011–12 दिसम्बर ,11	56.80	2.00	56.87	1.96	2

3. बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम

राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत प्रति हितग्राही को रूपये 50/– की सीमा तक उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकेट वितरित करने का प्रावधान है ।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	312600	297494	156.35	148.65	297794
2	2010–11	349792	349792	175.63	174.40	349792
3	2011–12 दिसम्बर, 11	358880	358880	179.44	173.54	358880

4. सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत उन्नत/संकर सब्जी फसल के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 12500 रूपयें प्रति हैक्टर तथा सब्जी के कंदवाली फसल जैसे– आलू, अरबी के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपयें 25000/– अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हैक्टर से लेकर 2 हैक्टर तक का लाभ दिया जाना प्रावधानित है।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12 दिसम्बर, 11	4294	2296.17	654.55	392.17	3775

5. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपयें 12500/– प्रति हैक्टर तथा कंदवाली फसल जैसे– हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपयें 25000/– अनुदान दिये जाने का प्रावधन किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हैक्टर से लेकर 2 हैक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12 दिसम्बर, 11	5191	3174.08	819.84	513.53	5184

6. प्रदर्शन/मिनीकिट की योजना

समस्त उद्यानिकी फसलों के प्रदर्शन/मिनीकिट की नवीन योजनान्तर्ग आगामी तीन वर्षों का कार्यक्रम निर्धारित जिले की जलवायु एवं मिट्टी को देखते हुए किया जायेगा।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12 दिसम्बर, 11	176884	166511	395.38	353.06	166511

7. उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण

योजनांतर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किये जाते हैं तथा राज्य शासन के बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाता है।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	572	441	24.49	17.95	441
2	2010–11	647	358	27.05	20.21	358
3	2011–12	1184	388	26.66	20.27	388

	दिसम्बर, 11					

8. कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम

कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराया जाता है।

क्र	अवधि	30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु
1.	2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण	रू. 15000/– प्रति सत्र
2.	प्रदेश के अंदर 7 दिवसीय भ्रमण एवं प्रशिक्षण 1500/– प्रति कृषक	रू. 45000/– प्रति सत्र
3.	प्रदेश के बाहर 7 दिवसीय भ्रमण एवं प्रशिक्षण 2500/– प्रति कृषक	रू. 75000/– प्रति सत्र

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	9955	8222	65.70	61.68	8222
2	2010–11	11574	7292	89.24	81.55	7292
3	2011–12 दिसम्बर, 11	10500	3519	133.65	87.30	3519

9. प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार प्रसार

जिला एवं ब्लाक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमिनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2009–10	308	252	80.81	79.72	41247
2	2010–11	333	245	83.26	79.55	22763
3	2011–12 दिसम्बर, 11	392	163	92.88	64.27	8436

वर्ष 2011–12 से बंद की गई योजनाओ की सूचीः–

1. 50 एवं 75 प्रतिशत अनुदान पर समन्वित सब्जी विकास कार्यक्रम
2. आलू विकास (प्रदर्शन)
3. मसाला विकास (मिनिकिट वितरण)
4. संकर मिर्च उत्पादन कार्यक्रम
5. पुष्प विकास (प्रदर्शन)
6. औषधीय एवं सुगंधित फसलों का विकास (मिनिकिट वितरण)
7. मशरूम विकास कार्यक्रम (प्रशिक्षण)

राज्य सेक्टर

1. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन योजना अंतर्गत केवल मिशन जिलों के लिये क्रियान्वयन थी नवीन योजना सभी जिलों के लिये वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की जा रही है जिसके अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना का विकास कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की सेल्फ लाईफ बाढ़ाना, कृषकों के उत्पादों का सही मूल्य उपलब्ध करवाना, प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि उद्यानिकी फसलों की खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12 दिसम्बर, 11	–	–	50.00	–	–

2. व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन अंतर्गत मिशन जिलों में लागू है उसी अनुसार प्रदेश के सभी नवीन योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की जा रही है। योजना में प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिक कल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीनहाऊस, शेडनेट एवं प्लास्टिक लो–टनल इत्यादि का निर्माण किया जावेगा।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12 दिसम्बर, 11	150	100	80.00	45.09	87

3. उद्यानिकी से विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

उद्यानिकी के क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना संचालित नहीं है। वर्ष 2011–12 से नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषक उत्पादक संघ जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना

चाहते है, योजना में उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50.00 लाख तक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	वर्ष	भौतिक		वित्तीय (लाख में)		लाभान्वित परिवार
		लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय	
1	2011–12 दिसम्बर, 11	–	–	100.00	–	–

उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित समस्त राज्य एवं केन्द्र पोषित हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन जिला पंचायत से अनुमोदन लिया जाकर किया जाता है ।

4. फल परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र

फल परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा साग–भाजी परिरक्षित पदार्थ जैसेः– जैम, जैली, मुरब्बा, अचार, चटनी, केचप, सॉस, शर्बत आदि बनाने का प्रशिक्षण, इन्दौर, सागर, होशंगाबाद, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं रीवा आदि जगहों पर एक दिवसीय, चार दिवसीय एवं 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 2009–10 में माह मार्च 2010 तक 1011 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है । वर्ष 2010–11 में माह मार्च 2011तक 1055 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है वर्ष 2011–12 में माह दिसम्बर 2011 तक 339 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है ।

5. निजी रोपणी की स्थापना से उद्यमिता विकास योजना

योजनांतर्गत 1 हेक्टर की कृषि योग्य उपयुक्त भूमि उपयोग में लाने की क्षमता रखने वाले सामान्य वर्ग के कृषकों को इकाई लागत का 33 प्रतिशत् अधिकतम रूपये 1.75 लाख जो भी कम हो तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के कृषकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2.50 लाख जो भी कम हो अनुदान स्वीकृत करने का प्रावधान है । योजना का क्रियान्वयन 20 जिलों में क्रमशः भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सीहोर, रायसेन, दमोह, टीकमगढ, पन्ना, बालाघाट, सिवनी, नरसिहपुर, कटनी, विदिशा, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं अनूपपुर में किया जा रहा है । वर्ष 2009–10 में माह मार्च, 2010 तक 11 निजी रोपणियों की स्थापना की गई है । वर्ष 2010–11 में मार्च, 2011 तक 05 निजी रोपणियों की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2011–12 में दिसम्बर 2011 तक 02 निजी रोपणियों की स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. ग्रामीण हाट बाजार

यह योजना आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्रामीण हाट बाजार निर्माण हेतु वर्ष 2008–09 से लागू है। प्रति हाट बाजार रूपये 15.00 लाख की निर्माण लागत प्रस्तावित है। शहडोल, अनुपपुर एवं उमरिया में वर्ष 2008–09 में 59 हाट बाजार का निर्माण किया गया है तथा वर्ष 2009–10 में खरगौन, बैतूल एवं बड़वानी जिले में 53 हाट बाजार लक्ष्य के विरूद्ध 53 का निर्माण किया गया है एवं राशि रूपये 779.43 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2010–11 से योजना में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

ख. केन्द्र पोषित योजनाएं

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन

1. राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन वर्ष 2005–06 से देश में प्रारम्भ किया गया एवं अन्य राज्यों के साथ–साथ मध्य प्रदेश में भी वर्ष 2005–06 से लागू किया गया है तथा वर्तमान में प्रदेश के 39 जिले शामिल है चयनित जिलों की सूची निम्नानुसार है :–

1. भोपाल	2. बैतूल	3. होशंगाबाद	4. सागर
5. जबलपुर	6. छिंदवाड़ा	7. उज्जैन	8. शाजापुर
9. मंदसौर	10. रतलाम	11. देवास	12. इंदौर
13. धार	14 झाबुआ	15. खरगौन	16 खण्डवा
17 मण्डला	18. डिण्डोरी	19. बुरहानपुर	20. बड़वानी
21. रीवा	22. सतना	23. हरदा	24. राजगढ
25. गुना	26. नीमच	27. ग्वालियर	28. छतरपुर
29. सीहोर	30. विदिशा	31. सीधी	32. अलीराजपुर
33. सिंगरौली	34. अशोकनगर	35. रायसेन	36. दमोह
37. पन्ना	38. टीकमगढ़	39. दतिया	

2. उद्देश्य

- मिशन अवधि में उद्यानिकी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन दुगना करना ।
- मिशन के अंतर्गत चयनित 39 जिलों में आम, आंवला, संतरा, अमरूद, अनार, सीताफल, बेर, केला, धनियां, लहसुन, मिर्च एवं पुष्प फसलों का विकास करना ।
- उच्च प्रजाति के पौधों के उत्पादन एवं वितरण के लिए बडी एवं छोटी मॉडल रोपणियों की स्थापना
- प्रदेश में जैविक खेती को बढावा देना ।
- फसलोत्तर प्रबंधन प्रसस्करण, भण्डारण, परिवहन, निर्यात की सुविधाओं के विस्तार के लिए अधोसंरचना विकास करना ।
- आधुनिक तकनीकी का कृषकों को प्रशिक्षण ।
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में उद्यानिकी से जुड़ी निम्न गतिविधियों को बढ़ाने का कार्यक्रम लिया जाना प्रस्तावित है :
- उद्यानिकी फसलों पर अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से ।
- पौध रोपण अधोसंरचना एवं विकास ।
- फसलोत्तर प्रबंधन ।
- प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन ।

3. फोकस फसलें

फल : आम, संतरा, अमरूद, आंवला, सीताफल, केला, अनार,

मसाले : धनियाँ, मिर्च, लहसुन

पुष्प : कट फ्लावर, बल्बस फ्लावर, लूज फ्लावर

4. अनुदान व्यवस्था

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन में संचालित घटक योजनाओं में दी जाने वाली सहायता का लागत मापदंड तथा सहायता का विवरण परिशिष्ट–1 पर दिया गया है।

आवंटन राशि, व्यय राशि का विवरण

(राशि लाख में)

वर्ष	आवंटन राशि	व्यय राशि
2005–06	2839.77	411.96
2006–07	4291.75	4736.23
2007–08	6737.49	4785.08
2008–09	6900.00	6726.02
2009–10	4461.19	7176.69
2010–11	6233.97	6556.08
2011–12	5908.73	3678.73

5. विगत दो वर्षों की एवं चालू वर्ष दिसम्बर की भौतिक वित्तीय लक्ष्य पूर्ति का ब्यौरा

5.1 पौध रोपण सामग्री का उत्पादन

आदर्श/बड़ी नर्सरी शासकीय क्षेत्र एवं आदर्श/बड़ी नर्सरी निजी क्षेत्र के लिए :

आदर्श/बड़ी नर्सरी

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)				वित्तीय (लाख में)				लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधान		व्यय		
		शा.	निजी	शा.	निजी	शा.	निजी	शा.	निजी	
2009–10	संख्या	7	15	2	5	126.00	135.00	28.31	34.09	5
2010–11	संख्या	7	5	4	3	175.00	62.50	31.55	12.75	3
2011–12 दिसम्बर 2011	संख्या	2	6	–	3	50.00	75.00	–	4.19	3

छोटी नर्सरी शासकीय क्षेत्र एवं छोटी नर्सरी निजी क्षेत्र के लिए

छोटी नर्सरी

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)				वित्तीय (लाख में)				लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधान		व्यय		
		शा.	निजी	शा.	निजी	शा.	निजी	शा.	निजी	
2009–10	संख्या	–	20	–	7	–	30.00	–	8.05	7
2010–11	संख्या	9	14	–	3	56.25	43.75	–	2.49	3
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	2	10	–	2	12.50	31.25	–	–	2

5.2 सब्जी बीज उत्पादन एवं वितरण

शासकीय क्षेत्र में बीजोत्पादन एवं निजी क्षेत्र में बीजोत्पादन :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)				वित्तीय (लाख में)				लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधान		व्यय		
		शा.	निजी	शा.	थ्नजी	शा.	निजी	शा.	निजी	
2009–10	हेक्टेयर	310	380	266.87	348.70	155.00	95.00	99.07	61.33	507
2010–11	हेक्टेयर	112.50	229.50	115.32	176.10	55.75	57.13	32.04	21.37	201
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	200	300	182.17	266.50	100.00	75.00	3303	1.86	150 संभावित

शासकीय क्षेत्र में बीज अधोसंरचना : विभाग के पांच प्रक्षेत्रों में।

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2010–11	संख्या					
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या					

5.3 नये फलोद्यानों की स्थापना

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	8350	8064.20	916.93	769.28	10010
2010–11	हेक्टेयर	10722	9581.586	1739.06	1446.017	12022
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	4446.59	6613.96	738.58	635.197	9000

5.4 पुष्प क्षेत्र विस्तार

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	4400.00	4285.00	953.00	809.152	9676
2010–11	हेक्टेयर	1576.00	1503.00	345.85	337.245	13049
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	1000	570	265	113.461	1100

5.5 मसाला क्षेत्र विस्तारः

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	10800	11121.00	1215.00	1124.18	19279
2010–11	हेक्टेयर	10500	9680.00	1312.50	1125.960	16514
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	7050	8409.20	881.25	891.987	14000

5.6 जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रति स्थापन

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	1400	3137.50	210.00	463.955	4019
2010–11	हेक्टेयर	520	500.00	78.00	72.257	2090
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	2000	2120	300	166.016	8800

5.7 संरक्षित खेती

ग्रीन हाऊस ढांचा

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	1.00	0.50	27.00	13.00	5
2010–11	हेक्टेयर	13.17	6.85	615.70	120.369	68
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	12.5	3.456	650.63	99.703	40

प्लास्टिक मल्चिंग

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	0	50	0.00	3.50	32
2010–11	हेक्टेयर	3000	1050	300	90.760	656
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	3000	862.2	300	49.77	600

छायादार जालीगृह (शेडनेट)

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	300	339.50	210.00	237.116	4271
2010–11	हेक्टेयर	7.20	25.40	216.00	86.905	1792
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	20	5.20	600	109.95	350

5.8 जैविक खेती

जैविक खेती को अपनाना

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	2500	–	500	–	–
2010–11	हेक्टेयर	2550	2500	102.00	100	–
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	–	–	–	–	–

5.9 प्रमाणीकरण :

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	हेक्टेयर	–	–	–	–	–
2010–11	हेक्टेयर	2550	2500	76.50	75.00	1110
2011–12 (दिसम्बर 11)	हेक्टेयर	–	–	–	–	–

5.10 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट

वर्ष	उप घटक	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
			लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	स्थाई ढांचा	संख्या	1200	777	180.00	110.687	713
2010–11	स्थाई ढांचा	संख्या	200	137	60.00	24	429
	एचडीपीई सील्ड	संख्या	310	337	15.50	13.496	–
2011–12 (दिसम्बर 11)		संख्या	–	–	–	–	–

5.11 मानव संसाधन विकास : इस घटक के अन्तर्गत कृषकों, कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, अधिकारियों के कौशल उन्नयन एवं ज्ञान वृद्धि के प्रशिक्षण,प्रशिक्षण सह भ्रमण तथा अधोसंरचना के विकास के विभिन्न कार्यक्रम लिये जावेगे।

माली प्रशिक्षण : होशगाबाद, सागर, इंदौर एवं भेापाल के विभागीय माली प्रशिक्षण केन्द्रों में यह कोर्स 6 माह की अवधि के लिये संचालित किया जावेगा। प्रत्येक 6 माह के सत्र में 25:25 प्रशिक्षणर्थियों के बैच में प्रशिक्षण दिया जावेगा।

कृषकों का प्रशिक्षण सह भ्रमण

इस उपघटक के अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रशिक्षणःसह भ्रमण का प्रावधान है।

जिले के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	–	–	–	–	–
2010–11	संख्या	1597	2095	14.20	9.317	2095
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	1950	1233	15.60	10.78	1233

राज्य के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	4360	4140	65.40	59.407	4140
2010–11	संख्या	1640	1217	38.70	20.698	1217
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	1950	1146	43.88	25.47	1146

राज्य से बाहर प्रशिक्षण सह भ्रमण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	4290	4134	107.25	97.817	4134
2010–11	संख्या	1640	1115	54.00	27.904	1115
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	1950	1190	58.50	38.27	1190

कृषकों का प्रभावन दौरा

इस उपघटक के अन्तर्गत तीन प्रकार के प्रभावन दौरा का प्रावधान है।

जिले के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	–	–	–	–	–
2010–11	संख्या	2060	1364	16.05	7.50	1364
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	1950	1118	14.63	9.72	1118

राज्य के भीतर प्रशिक्षण सह भ्रमण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	–	–	–	–	–
2010–11	संख्या	1990	1928	35.10	25.708	1928
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	1950	1160	35.10	23.27	1160

राज्य से बाहर प्रशिक्षण सह भ्रमण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	–	–	–	–	–
2010–11	संख्या	1698	1358	59.69	38.033	1358
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	1950	1085	70.20	44.38	1085

5.12 तकनीकी का प्रसार

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	–	–	–	–	–
2010–11	संख्या	2	–	50.00	–	–
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	2	–	50.00	–	–

5.13 फसलोत्तर प्रबंधन

पैक हाऊस निर्माण

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	50	–	31.25	–	–
2010–11	संख्या	87	29.00	130.50	10.875	29
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	100	37	150.00	18.50	37

रेफ्रीजरेटेड कंटेनर

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	2	–	12.00	–	–
2010–11	संख्या	2	–	19.20	–	–
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	2	–	19.20	–	–

कोल्ड स्टोरेज

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	2	9	100.00	325.15	25
2010–11	संख्या	14	4	1680.00	145.20	4
2011–12 (दिसम्बर 11)	संख्या	12	10	1440	368.76	10

निम्न लागत प्याज भण्डार ढांचा

वर्ष	इकाई	भौतिक (हेक्टेयर)		वित्तीय (लाख में)		लाभांवित हितग्राही
		लक्ष्य	पूर्ति	प्रावधान	व्यय	
2009–10	संख्या	–	1	–	2.25	1
2010–11	संख्या	119	–	59.50	–	–
2011–12	संख्या	100	–	50.00	–	–

(दिसम्बर 11)						

2. केन्द्र प्रवर्तित माईक्रोइरीगेशन योजना

केन्द्र प्रवर्तित माईक्रोइरीगेशन योजना वित्तीय वर्ष 2005–06 के माह जनवरी–2006 से स्वीकृत हुई है ।

- भारत सरकार द्वारा लागू माइक्रो इरीगेशन योजना का प्रदेश में वर्ष 2005–06 से क्रियान्वयन ।
- योजना का उद्देश्य कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचित क्षेत्र तथा उत्पादन एवं उत्पादकीय गुणवत्ता को बढ़ाना ।
- यह योजना प्रदेश की सभी जिलों में लागू उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत चयनित जिलों एवं फसलों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
- येाजना में प्रत्येक हितग्राही को कम से कम 0.4 हेक्टर एवं अधिकतम 5 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है ।
- योजनान्तर्गत ड्रिप/स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम हेतु निर्धारित इकाई लागत पर निम्नानुसार अनुदान देय हैः–

क्र.	हितग्राही कृषक	कुल अनुदान	केन्द्रांश	राज्यांश
1	बड़े कृषक (समस्त वर्ग)	70:	40:	30:
2	लघु सीमांत अनु.जाति/ अनु.जनजाति	80:	50:	30:
3	लघु सीमांत सामान्य वर्ग	70:	50:	20:

- योजनांतर्गत कृषकों को यह स्वतंत्रता है कि वह राज्य माईक्रो इरीगेशन समिति द्वारा पंजीकृत सिस्टम निर्माता कंपनियों से सीधे अथवा उनके अधिकृत डीलरों से अपनी इच्छानुसार सिस्टम का मोलभाव कर क्रय कर सकते हैं ।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 में भौतिक लक्ष्य 46279 हैक्टर के विरूद्व 41178.24 हेक्टर की पूर्ति कर पूर्व वर्ष की शेष राशि सहित रूपये 13037.13 लाख वित्तीय आवंटन के विरूद्व रूपये 12873.36 लाख रूपये का व्यय किया गया है ।
- वर्ष 2011–12 हेतु 40521 हेक्टर में ड्रिप/स्प्रिंकलर के लक्ष्य के विरूद्व 31785.37 हेक्टर की पूर्ति कर पूर्व वर्ष की शेष राशि सहित रूपये 14361.34 लाख वित्तीय प्रावधान के विरूद्व 10950.33 लाख का व्यय दिसंबर 2011 तक किया गया है ।

वर्ष	भौतिक (हेक्टर)		वित्तीय (लाख में)	
	लक्ष्य	पूर्ति	आवंटन	व्यय
2009–10	33308	35604.00	7390.60	8795.96
2010–11	46279	41178.24	13037.13	12873.36

2011–12 दिसम्बर 11	40521	31785.37	14361.34	10950.33

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत निम्नानुसार घटक प्रदेश में संचालित हैः–

1. प्याज भण्डारण

विभागीय रोपणियों पर 50 टन का प्याज भण्डारण हेतु प्रति इकाई लागत रू. 3.95 लाख के विरूद्ध विभागीय रोपणियों में शत प्रतिशत अनुदान तथा कृषकों के लिये 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1.60 का अनुदान इस योजना में प्याज भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2010–11 में कुल 368 प्याज भण्डारण गृह निर्माण कराये गये है, जिसपर रूपये 578 लाख व्यय हुआ । वर्ष 2011–12 में 313 प्याज भण्डार गृह निर्माण हेतु राशि रूपये 500.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध भारत सरकार से राशि अप्राप्त है ।

2. वर्मी–कम्पोस्ट

उद्यानिकी फसल ले रहे कृषकों के यहां वर्मी कम्पोस्ट यूनिट 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल की तैयार करने पर 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रूपये 15000/– तक का प्रावधान है।

स्थानीय बाजार से आदान सामग्री कृषक स्वयं खरीदकर बिल प्रस्तुत करेगा तथा विभागीय अमले द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा।

इस योजना से कृषक वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर जैविक खेती कर रहे हैं तथा रासायनिक खाद का कम उपयोग कर उत्पादन लागत कम कर शुद्ध लाभ अधिक ले रहे हैं। वर्ष 2010–11 के लिये उक्त योजना में हितग्राहियों को लाभ दिये जाने हेतु रूपये 335.50 लाख का प्रावधान है। उक्त योजना में 1115 वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर राशि रूपये 167.18 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में प्रावधान नही है ।

3. नर्सरी विकास

शासकीय रोपणियों पर अधोसंरचना विकास के लिये राशि रूपये 425.95 का प्रावधान किया गया है। इस राशि से सिचांई साधन, वर्किंग शेड, वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, फेंसिंग, विद्युतीकरण आदि तैयार कर रोपणियों का विकास किया जायेगा। साथ ही कृषकों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु रोपणियों पर पौध उत्पादन कार्य लिये जायेगे तथा कृषकों को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध कराये जायेगे।

वर्ष 2010–11 के लिये 34 रोपणियों पर राशि रूपये 243.40 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में प्रावधान नही है ।

4. कृषक भ्रमण

इस योजना में कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण पर ले जाकर उद्यानिकी की उन्नत तकनीकी से अवगत कराने का प्रावधान है । योजना में रूपये 2500/– प्रति कृषक प्रावधान रखा गया है । प्रदेश के बाहर कृषकों को ले जाकर विभिन्न तकनीकी जानकारी तथा अन्य प्रदेशों के कृषक के बीच तकनीकी का आदान–प्रदान किया गया है।

वर्ष 2010–11 में 1200 कृषकों को प्रशिक्षण सह भ्रमण कराकर राशि रूपये 39.74 लाख का व्यय किया गया । वर्ष 2011–12 में 800 लक्ष्य के विरूद्ध राशि रूपये 20.00 लाख का प्रावधान है । भारत सरकार से राशि अप्राप्त है ।

5. प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण

कृषकों को 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 125/– अनुदान पर प्लास्टिक क्रेट उपलब्ध कराया जाता है। प्लास्टिक क्रेट निर्धारित मापदण्ड की होना आवश्यक होगा।

प्लास्टिक क्रेट न्यूनतम 1.5 कि.ग्राम तथा 44 लीटर क्षमता की क्रय करने के उपरांत अनुदान देय है। विभिन्न निर्माताओं तथा एम.पी. एग्रो को भी कृषक से सम्पर्क कर क्रेट उपलब्ध कराने हेतु सुझाव दिये गये हैं। क्रेट उपलब्ध कराने से कृषक बाजार तक अपने उत्पादन को सुरक्षित पहॅूचाया जा रहा है जिससे उपभोक्ता तक उच्च गुणवत्ता की सामग्री पहॅूचाकर कृषकों को उत्पादन का अधिक से अधिक दाम मिल रहे है।

वर्ष 2010–11 में 218600 प्लास्टिक क्रेट्स कृषकों को वितरण कर राशि रूपये 273.25 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में प्रावधान नही है ।

6. उच्च तकनीक से पान की खेती

जो कृषक पान की खेती कर रहे हैं उन्हें 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 30000/– अनुदान की पात्रता होगी। प्रदेश के जिन जिलों में पान की खेती की जा रही है उन्ही जिलों में यह योजना लागू की गयी है।

इस योजना से पान उत्पादक कृषक काफी उत्साहित हैं। शेडनेट तथा ड्रिप स्थापित होने से पान की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत कम हुई है।

वर्ष 2010–11 में 230 बरेजो का निर्माण कर 690.30 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में 560 बरेजा निर्माण पर राशि रूपये 168.00 का व्यय करने का प्रावधान है । भारत सरकार से रिलीज अप्राप्त ।

7. ग्रीष्म मौसम में संकर बीज वितरण

ग्रीष्म मौसम में नदी–नालों के कछारों में खेती कर रहे कृषकों के लिए तरबूज, खरबूज तथा ककड़ी आदि के संकर बीज तथा हार्मोन्स के लिए इस येाजना में 50 प्रतिशत एवं अधिकतम रूपये 400/– का प्रावधान किया गया है । इस योजना से नदी कछार में व्यर्थ पड़ी भूमि पर उत्पादन किया जा रहा है।

वर्ष 2010–11 में 36300 हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रूपये 145.20 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में प्रावधान नही है।

8. पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार

कृषकों के पुराने बगीचों का उत्पादन बढ़ाने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गई है। आम 25–30 वर्ष तथा नीबूं एवं अमरूद के 12 वर्ष पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए रूपये 15000/– का प्रावधान रखा गया है। वर्ष 2010–11 में 142 हेक्टर की पूर्ति कर राशि रूपये 21.30 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में 167 हेक्टर के विरूद्ध राशि रूपये 25.00 लाख का प्रावधान है ।

9. केला विकास योजना

इस योजना में केला विकास हेतु कृषकों को 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 62000/– अनुदान का प्रावधान है । प्रत्येक कृषक को 0.25 हैक्टर से 0.4 हैक्टर तक फलोद्यान लगाने पर अनुदान की पात्रता होगी ।

वर्ष 2010–11 में 50 हेक्टर के विरूद्ध राशि रूपये 30.61 लाख व्यय किया गया । वर्ष 2011–12 में योजना संचालित नहीं है ।

10. पैक हाऊस

कृषकों द्वारा उत्पादित फल, सब्जी उत्पादन को बाजार में ले जाने के पूर्व धुलाई, छटाई एवं पैकिंग के उद्देश्य से 30*20 फिट का पैक हाऊस निर्माण की योजना प्रारम्भ की गई है । प्रति पैक हाऊस 2.50 लाख की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान इस योजना में किया गया है। शासकीय रोपणियों पर शत–प्रतिशत अनुदान पर पैक हाऊस का निर्माण किया जावेगा।

वर्ष 2010–11 में 37 पैक हाऊस का निर्माण कर राशि रूपये 54.31 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2011–12 में प्रावधान नहीं है ।

11. बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों का अधोसंरचना विकास

इस योजना में विभागीय बीज उत्पादन प्रक्षेत्र को अधोसंरचना विकास हेतु 3 प्रक्षेत्रो पर राशि रूपये 75.00 लाख व्यय किया गया । वर्ष 2011–12 में प्रावधान नहीं है।

12. माईक्रो इरीगेशन :–

माईक्रो इरीगेशन योजना में 525 हेक्टर में राशि रूपये 218.48 लाख का व्यय किया गया । वर्ष 2011–12 में 9173 हेक्टेयर भौतिक एवं राशि रूपये 1000.00 लाख का लक्ष्य के विरूद्ध 7338.4 हेक्टेयर पर राशि रूपये 802.97 लाख का व्यय किया गया । शेष की राशि भारत सरकार से अप्राप्त है ।

13. संरक्षित खेती :–

इस योजना में वर्ष 2011–12 में राशि रूपये 100.00 लाख का प्रावधान है । भारत सरकार से राशि अप्राप्त है ।

14. माइक्रो न्यूट्रियेन्टस टेस्टिंग :–

इस योजना में वर्ष 2011–12 में राशि रूपये 100.00 लाख का प्रावधान है । भारत सरकार द्वारा राशि प्राप्त नहीं हुई ।

4. मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन (केन्द्रांश 100 प्रतिशत सहायता)

1. प्रदेश में म.प्र.राज्य औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008–09 से प्रारंभ किया गया है। यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के द्वारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है।
2. मॉडल बड़ी एवं छोटी रोपणियों की स्थापना (शासकीय/निजी क्षेत्र)
3. औषधीय पौधों की खेती पर अनुदान।
4. कृषकों को प्रशिक्षण सह भ्रमण (राज्य के अंदर/बाहर)
5. राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन।
6. औषधीय पौधों के फसलेत्तर प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं विपणन प्रोत्साहन पर अनुदान।
7. कार्ययोजना में शामिल होने वाले जिले।

   अ. वर्ष 2008–09 (प्रथम चरण)

   1. जबलपुर, 2. कटनी, 3. सिवनी, 4. इन्दौर, 5. धार, 6. उज्जैन, 7. मंदसौर, 8. नीमच, 9. रतलाम, 10. देवास 11. शाजापुर, 12. भोपाल, 13. सीहोर, 14. रायसेन 15. बैतूल, 16. होशंगावाद, 17. हरदा।

   ब. वर्ष 2009–10 (द्वितीय चरण)

   1. सागर, 2. दमोर, 3. नरसिंहपुर, 4. उमरिया, 5. शहडोल, 6. अनुपपुर, 7. मण्डला, 8. डिंडोरी, 9. ग्वालियर, 10. झाबुआ।

प्राप्त आवंटन एवं व्यय की जानकारीः–

क्र.	वर्ष	अनुमोदित कार्य योजना		केपेसिटी बिल्डिंग	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2009–10	543.375	365.64	25.53	25.53
2	2010–11	915.51	263.82	–	10.00
3	2011–12	307.322	231.582	0	0

भाग–4

शिकायतों का निराकरण

संचालनालय स्तर पर जांच कमेटी का गठन समय–समय पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर किया जाता है ।

भाग–5

अभिनव योजना

1. उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन योजना अंतर्गत केवल मिशन जिलों के लिये क्रियान्वयन थी नवीन योजना सभी जिलों के लिये वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत एकीकृत शीतश्रृंखला की अधोसंरचना का विकास कर उद्यानिकी फसलों के उत्पादन की सेल्फ लाईफ बाढ़ाना, कृषकों के उत्पादों का सही मूल्य उपलब्ध करवाना, प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर निर्यात को बढ़ावा देना है, ताकि उद्यानिकी फसलों की खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके।

2. व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना

अभी तक प्रदेश में इस तरह की योजना मिशन अंतर्गत मिशन जिलों में लागू है उसी अनुसार प्रदेश के सभी नवीन योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है। योजना में प्रावधान अनुसार राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिक कल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी. पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीनहाऊस, शेडनेट एवं प्लास्टिक लो–टनल इत्यादि का निर्माण किया जावेगा।

3. उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना

उद्यानिकी के क्षेत्र में यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना संचालित नहीं है। वर्ष 2011–12 से नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषक उत्पादक संघ जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते है, योजना में उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50.00 लाख तक अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

भाग–6

विभागीय प्रकाशन

तकनीकी साहित्य

विभाग द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी छपवाकर संभाग/जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से कृषकों तक पहुॅचाई जाती है साथ ही उद्यानिकी फसलें जैसे आम, संतरा, नीबू, केला, पपीता, अनार, बेर, ऑवला एवं सब्जियों आदि के तकनीकी ज्ञान का साहित्य छपवाकर कृषकों को वितरित किया जाता है ।

Madhya Pradesh Rajya Krishi Udyog Vikas Nigam

M P AGRO

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में तत्पर

तृतीय तल, पंचानन भवन, मालवीय नगर भोपाल

दूरभाष 0755–2551807, 2551967, 2551756

फेक्स 0755–2557305

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योंग विकास निगम मर्यादित भोपाल

स्थापना –

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी में 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापना हुई । निगम की अधिकृत अंशपूंजी रूपये 500.00 लाख है एव प्रदत्त अंशपूंजी रूपये 329.49 लाख है जिसमें से भारत सरकार का अंश रूपये 120.00 लाख है एवं राज्य शासन का अंश रूपये 209.49 लाख है ।

उद्देश्य –

1. कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना ।
2. सहायक एवं संपूरक खाद्यान्न की उपलब्धता की वृद्धि में योगदान ।
3. कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना ।

मुख्य गतिवधियां –

1. रासायनिक उर्वरक, यंत्रीकृत कृषि मे ट्रेक्टर, पॉवर टिलर, पंपसेट, कृषि उपकरण, स्प्रिंकलर एवं टपक सिंचाई यंत्र, पौध संरक्षण, तौल–कांटे, प्रीक्लीनर डिस्टोनर, टूलकिट, हाइब्रिड एवं टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज एवं पौधो का विपणन ।
2. उन्नत कृषि उपकरण, ट्रेलर, टेंकर, का निर्माण एवं प्रदाय ।
3. बायोगैस संयंत्रों की स्थापना ।
4. जीवाणु खाद, जैविक खाद, बीजोपचार औषधियों का उत्पादन तथा विपणन ।
5. कृषि आधारित उद्योगो की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा निगम को नोडल एजेन्सी नामांकित किया गया है।
6. मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में उपलब्ध गैर वन पड़त भूमि के उपयोग की नीति के क्रियान्यवन हेतु निगम को नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है।
7. पोषण आहार का उत्पादन एवं प्रदाय ।

कृषि आदान विपणन नीति–

1. कृषि आदानो की खरीदी के लिये शासन के निर्देशानुसार कृषक खुले बाजार से सामग्री क्रय करने के लिये स्वतंत्र है ।
2. शासन की खुली नीति के अनुरूप निगम द्वारा अन्य विक्रेताओं की तरह डीलर के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है ।
3. अनुदान शासन की नीतियो के अंतर्गत जिले के उपसंचालक द्वारा देय होता है ।

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

. प्रशासनिक संरचना (निगम का ढांचा)

अध्यक्ष

प्रबंध संचालक

मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	प्रक्षेत्र	उत्पादन इकाईयां
1	7	50	01	3

मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम

निगम अमला (31 दिसम्बर 2011 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पद की संख्या	रिक्त पद की संख्या
1	**प्रथम श्रेणी**	15600 से 34400 तक	**56**	**29**	**27**
2	**द्वितीय श्रेणी**	15600–39100+5400	**71**	**27**	**44**
3	**तृतीय श्रेणी**	5200 से 9300 तक	528	252	276
4	**चतुर्थ श्रेणी**	4440 से 5200 तक	**180**	**79**	**101**
		महायोग	**836**	**387**	**449**

1 जीवाणु खाद संयंत्र की विगत 5 वर्षो की प्रगति निम्नानुसार है –

वर्ष	उत्पादित पैकेट	वितरित पैकेट
2007–2008	25,03,119	25,03,119
2008–2009	27,05,364	27,00,963
2009–2010	25,03,850	25,03,260
2010–2011	21,06,726	21,06,726
2011–12 दिसम्बर 2011 तक उपलब्धि	32,39,571	30,79,571

2 वर्ष 1995–96 में बाडी जिला रायसेन में स्थापित 4000 मी.टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का एक पोषण आहार संयंत्र निरंतर कार्यरत है । वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है

वर्ष	**उत्पादन मी. टन**	**वितरण मी.टन**
2007–2008	1,147.0750	1,213.070
2008–2009	3,810.100	3,810.100
2009–2010	1,631.501	1,631.501
2010–2011	6,859.512	6,859.512
2011–12 दिसम्बर .2011 तक उपलब्धि	9,058.330	9,058.330

3 निगम द्वारा शासन की अनुमति से वर्ष 1994–95 से उर्वरक वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। उर्वरक वितरण (विक्रय) की जानकारी निम्नानुसार है। 11.2. 04 से यूरिया से प्रतिबंध समाप्त होने से उर्वरक विक्रय में कमी आई है :–

वर्ष	**वितरण (विक्रय) मी.टन**
2007–2008	63508.00
2008–2009	61365.00
2009–2010	54235.50
2010–2011	47,835.40
2011–12 दिसम्बर .2011 तक उपलब्धि	33642.90

- निगम की मांगनुसार उर्वरक प्राप्त नही हो रहा है ।

- संचालक कृषि व्दारा निगम को विपणन संघ को आंवटित मात्र में से 3.5 प्रतिशत देने के निर्देश दिये गये है लेकिन आवंटित मात्रा भी उपलब्ध नही हो रही है ।

4 वर्ष 2009–2010 के वार्षिक लेखे विधान सभा के पटल पर रखे जा चुके है। वर्ष 2010–11 के लेखो का संकलन कार्य प्रगति में है ।

5 निगम द्वारा प्रदेश में बायोगैस संयंत्रो की स्थापना का कार्य किया जा रहा है वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :

वर्ष	लक्ष्य	निर्मित बायोगैस संयंत्रों की सख्या
2007–2008	12,000	5,614
2008–2009	12,000	10,650
2009–10	12,000	10,395
2010–11	12,000	12,071
2011–12 दिसम्बर .2011 तक उपलब्धि	12,000	6,063 निर्मित 870 निर्माणाधीन

6 निगम द्वारा वर्ष 1984 से वर्ष 2010 तक कुल 2,03,789 पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का कार्य किया गया । निगम द्वारा स्थापित बायोगैस संयंत्रों में 1,22,557 संयंत्रों का सर्वेक्षण करवाया गया तथा 1,09,495 संयंत्र कार्यशील पाये गये निगम व्दारा अकार्यशील पाये गये संयंत्रों को नियमित रूप से कार्यशील करवाया जाता है । बायोगैस संयंत्रों के सर्वेक्षण का कार्य जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ तकनीकी अमले व्दारा किया जाता है, उक्त के अतिरिक्त केन्द्र शासन व्दारा अधिकृत संस्था देवी अहिल्या विश्व विद्यालय इंदौर द्वारा चयनित बायोगैस संयंत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है ।

7 निगम द्वारा बैलचलित एवं हस्तचलित कृषि उपकरणों का विक्रय किया जा रहा है। वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है

वर्ष	निगम द्वारा विक्रित यंत्रों की संख्या
2007–2008	46,807
2008–2009	39,822
2009–2010	27,689
2010–2011	28,536
2011–12 दिसम्बर .2011 तक उपलब्धि	42,157

8. निगम द्वारा अनुदान पर ट्रेक्टर विक्रय किये जा रहे है । वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	निगम द्वारा विक्रित ट्रेक्टर की संख्या
2007–2008	193
2008–2009	191
2009–2010	171
2010–2011	79
2011–12 दिसम्बर 2011 तक उपलब्धि	40

9 निगम द्वारा ट्रेक्टर एवं शक्तिचलित कृषि यंत्रों का वितरण अनेक वर्षो से किया जा रहा है –

वर्ष	शक्ति चलित यंत्र	रोटावेटर	पावर टिलर	थ्रेशर
2007–2008	1693	312	56	530
2008–2009	2238	727	72	198
2009–2010	1932	275	16	41
2010–11	1976	–	–	–
2011–12 दिस..2011 तक	2132	5	44	40

10

क्रमांक	वर्ष	व्यवसाय (करोड में)	लाभ (लाख में)	संचित लाभ / हानि (लाख में)
1	2010–11	11017.59	1402.59	1106.96
2	2009–10	523.13	452.70	(–) 295.63
3	2008–09	339.56	118.16	(–) 748.33
4	2007–08	205.41	123.51	(–) 866.50
5	2006–07	208.50	(–) 75.52	(–) 914.49

यॉत्रिकी कृषि प्रक्षेत्र बाबई

मूलभूत जानकारी :–

1 स्थापना –1971–72

2 उद्देश्य – बहूमुखी खेती का प्रर्दशन,उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण,उन्नत बीजों का प्रदाय निगम के मूल उद्देश्यों के अनुकूल कार्यकलापो का विस्तार ।

3 **प्रक्षेत्र में पदस्थ अमला** : नियमित अधिकारी/कर्मचारी – 12
कंटीजेन्सी कर्मचारी – 30

4 **प्रक्षेत्र पर उपलब्ध फार्म मशीनरी/संसाधन**

कम्बाइन हार्वेस्टर –2 ट्रैक्टर एचएमटी–5911–6, 5511–1, 2522–1, 2011–2, ट्रैक्टर इंटर 444–1, ट्रैक्टर जे.डी. 5310–2, ट्राली 4 व्हील–8, ट्राली 2व्हील–2, टैंकर 4व्हील–1, सीड ड्रिल –4, डिस्क हेरो–8, कल्टीवेटर–8, बंडफारमर–1, सीड ग्रडिंग प्लांट–1, स्ट्रारीपर–1, पावरस्प्रेयर–3, एरोब्लास्ट स्पेयर–1, रोटावेटर–1, स्क्रेपर–3, ट्यूबवेल–8'' बोर–40, स्प्रिंकलर सेट–47, ट्री पूनर–1, पोटेटो प्लानटर–1, महिन्द्रा जीप–1,

5 **भूमि का विवरण** :– प्रक्षेत्र का कुल रकवा 3251.28 एकड । प्रशासनिक दृष्टि से प्रक्षेत्र छः इकाईयो में विभक्त है इकाईवार रकवा निम्ननानुसार हैः–

इकाई क्रमांक	एक	दो	तीन	चार	पांच	छः	योग
रकवा (एकड में)	480.62	551.07	540.86	518.49	549.06	611.18	3251.28

उपयोग की जानकारी

- पशुपालन विभाग को दी गई 518.49 एकड
- बगीचों का क्षेत्रफल 465.00 एकड
- सिंचित कृषि भूमि 450.00 एकड
- भवन एवं नाले 130.370 एकड
- अतिक्रमण 47.625 एकड
- कृषि योग्य (असिंचित) 1558.545 एकड
- पडत 81.250 एकड

3251.280 एकड

(6) भूमि का प्रकार :– रेतीली,(रेत 76ः, सिल्ट 16ः, क्ले 8ः), पी.एच.– 4.5 से 6.25, आर्गेनिक कार्बन 0.3 से 0.375, नाईट्रोजन, जिंक एवं मुख्य तत्वो की कमी हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हैं अतः खाद देने की मात्रा सामान्य भूमि से अधिक रहती हैं। साथ ही सामान्य भूमि की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती हैं।

वर्ष 2011–12 में प्रक्षेत्र में ली गयी प्रमुख फसलें/कार्यक्रम

(1) कृषि फसल उत्पादन कार्यक्रमः– खरीफ–2011

क्र.	नाम फसल	किस्म	रकवा (एकड़)	प्राप्त उत्पादन (क्विं.)
1	धान	बासमति– 1121	254.50	2792.00
2	धान	बासमति. सी.एस.आर.– 30	14.00	135.00
	योग–		268.50	2927.00

रवि 2011–12

क्र.	नाम फसल	किस्म	रकवा (एकड़)	प्राप्त उत्पादन (क्विं.)
1	गेहूँ	जी.डव्लू.–322	450.00	

(2) कृषि फसल उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 2010–11 में प्राप्त उत्पादन :–

क्र.	नाम फसल	किस्म	रकवा (एकड़)	प्राप्त उत्पादन (क्विं.)
1	धान	पी.बी 1121	180.50	1648.00
2	धान	पी.बी. 1	66.00	728.00
3	धान	सी.एस.आर. 30	24.50	211.00
4	अरहर	पी. 33	13.00	20.90
5	अरहर	आशा–87	88.00	69.00
6	गेंहूँ	जी.डव्यलू. 322	482.00	5160.00
		योगः–	**854.00 एकड़**	

(3) प्रक्षेत्र पर फलोद्यानो का रकवाः(एकड़ में)–1 पुराने स्थापित उद्यान–

रकवा	आम	कटहल	चीकू	ऑवला	अमरूद	**योग**
एकड मे	212	44	20	4	4	**284**

2 नवीन रोपित उद्यान

रकवा	आम	नीवू	अमरूद	**योग**
एकड मे	131	16	25	**172**

3 नीलगिरी

रकवा	वृक्षारोपण
एकड मे	09

महायोग – 465

(1) 2011–12 में पौध वितरण :–

आम ग्राफ्टेड	ऑवल कलमी	अमरूद	कटहल	विक्रय राशि
544	536	6060	80	रू. 75792.00

(2) 2010–11 में पौध वितरण :–

आम ग्राफ्टेड	आम देशी	ऑवला ग्राफ्टेड	ऑवला देशी	सीताफल	अमरूद	नीबू	नीम	रतन जोत	विक्रय राशि
30572	1115	7735	500	1081	1118	215	600	100	9.56 लाख

(3) 2009–10 में पौध वितरण :–

आम	ऑवला	सीताफल	नींबू	विक्रय राशि
6625	67203	6860	2070	रू. 15.83 लाख

(4) मात्र वृक्ष रोपण :–

आम कलमी	संतरा	ऑवला	अमरूद	नीवू	योग
25	49	168	8	28	278

(7) बाबई प्रक्षेत्र की लाभ हानिः–

क्र. सं.	वर्ष	लाभ	हानि (लाख में)
1	2003–2004	–	79.28
2	2004–2005	–	88.99
3	2005–2006	–	107.91
4	2006–2007	–	105.48
5	2007–2008	–	8.83
6	2008–2009	–	61.60
7	2009–2010	–	28.40
8	2010–2011	–	25.00(अनुमानित)

प्रक्षेत्र की हानि को कम किए जाने हेतु किए गए प्रयास

(1) अलाभप्रद फसलें जिनसे हानि होती थी, ऐसी फसलों को लिया जाना बंद किया गया।

(2) स्थाई आय का स्त्रोत विकसित करने की दृष्टि से 130 एकड़ में आम के नए बगीचें लगाए एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 200 एकड़ में अमरूद का बगीचा लगाने की कार्यवाही की जा रही हैं।

(3) प्रक्षेत्र में स्थापित ग्रेडर से निजी क्षेत्र/कृषको को बीज की ग्रेडिंग का कार्य, व स्ट्रारीपर से भूसा बनाकर अतिरिक्त आय प्राप्त करने के प्रयास किए गये हैं।

(4) प्रक्षेत्र के अनुत्पादक व्ययों को भी सीमित करने हेतु समय समय पर प्रयास किए गये हैं।

भोपाल रतलाम एवं हरदा में फूड पार्क की स्थापना की जानकारी (31.12.2011)

1. रतलाम जिले में अंगूर की खेती को प्रोत्साहित करने तथा अंगूर उत्पादक कृषकों को प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के माध्यम से सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फल आधारित वाईन पार्क की स्थापना की योजना प्रारंभ की गई। भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्टेट नोडल एजेंसी (एम पी एग्रो) को योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामांकित किया गया।

2. भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 वीं पंचवर्षीय योजना (अवधि वर्ष 2002–2007) के अन्तर्गत अधोसंरचनाओं के विकास के लिये सहायता योजना क्रियान्वित की गई थी। योजना अन्तर्गत अधोसंरचनाओं (फूड पार्क की स्थापना) के लिये परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 4.00 करोड़ की सहायता मंत्रालय द्वारा प्रावधित की गई थी। योजना अन्तर्गत प्रदेश में 6 फूड पार्क की स्थापना के लिये मंत्रालय द्वारा प्रदेश को सहायता प्रदान की गई है।

3. मंत्रालय द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना मे फूड पार्क की स्थापना पर सहायता प्रावधान जारी किये जाने के कारण प्रदेश में स्थापित किये जा रहे फूड पार्क को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही दिसम्बर 2008 में प्रारंभ की गई। रतलाम में ग्राम करमदी में 80 एकड़ क्षेत्रफल में भोपाल – आदमपुर छावनी में 50 एकड़ पर तथा हरदा – अंजनास रैयत में 60 एकड़ क्षेत्रफल पर फूड पार्क की स्थापना प्रस्तावित है भूमि उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वाणिकी विभाग के अधिपत्य है ।

4. पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप में परियोजना की स्थापना के लिये भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश के अनुरूप परियोजना के विकास एवं परियोजना की स्थापना के लिये डेवलपर का चयन तथा डेवलपर के साथ कन्सेशन एग्रीमेंट संपादित किये जाने के लिये निगम द्वारा 11 इम्पेनल्ड सलाहकारों से रिक्वेस्ट फार प्रपोजल आमंत्रित किये गये। मेसर्स अर्नस्ट एन्ड यंग प्रा. लि. द्वारा डेवलपर का चयन तथा डेवलपर के साथ कन्सेशन एग्रीमेंट संपादित किये जाने के लिये न्यूनतम राशि रू.41,36,250/ का प्रस्ताव निगम को प्रस्तुत किया गया। न्यूनतम प्रस्ताव को स्वीकृत कर निगम द्वारा मेसर्स अर्नस्ट एन्ड यंग प्रा.लि. को ट्रांजेक्शन एडवाईजर नियुक्त कर कम्पनी के साथ दिनांक अनुबंध दिनांक 22.8.2009 को निष्पादित किया गया।

5. ट्रांजेक्शन एडवाईजर द्वारा परियोजना रिपोर्ट निगम को 26 .11.2009 को प्रेषित की गई तथा परियोजना रिपोर्ट का दिनांक 30.12.2009 को प्रस्तुतीकरण प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के समक्ष दिया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान डेवलपर के चयन की प्रक्रिया दो चरणों में किये जाने का प्रावधान किया गया । प्रथम चरण में रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन आमंत्रित करना तथा द्वितीय चरण में क्वालीफाईड कम्पनियों से रिक्वेस्ट फार प्रपोजल आमंत्रित करना है।

6. इकोनोमिक्स टाईम्स मुम्बई, दिल्ली एवं चैन्नई तथा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से दिनांक 4 अप्रेल 2010 को रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन आंमत्रित किये गये। रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन को प्रस्तुत करने की तिाि 20 मई 2010 निर्धारित की गई।

7. निर्धारित तिथि तक निगम को निम्नानुसार 4 कम्पनियों द्वारा रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन डाक्यूमेंट दो प्रतियों में प्रस्तुत किये गयेः
   1. मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएटस् लि.
   2. मेसर्स एल एम जे इन्टरनेशनल
   3. मेसर्स एल टी फूडस् लि.
   4. मेसर्स रेमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.

   प्राप्त रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन डाक्यूमेंटस का परीक्षण ट्रांजेक्शन एडवाईजर द्वारा किया गया तथा सभी आवेदक कम्पनियों को सक्षम मान्य किया गया ।

8. टू स्टेज बिडिंग प्रकिया के अन्तर्गत तकनीकी रूप से क्वालीफाईड बिडर्स से फायनेन्सियल बिड आमंत्रित की जाना है। इस हेतु ट्रांजेक्शन एडवाईजर द्वारा रिक्वेस्ट फार प्रपोजल डाक्यूमेंट का अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरांत दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को क्वालीफाईड बिडर्स से फायनेन्सियल बिड आमंत्रित की गई है जिसको प्रस्तुत करने की तिथि दिनांक 14 फरवरी 2012 निर्धारित की गई है।

9. फायनेन्सियल बिड्स प्राप्त होने एवं परीक्षणोंपरांत सक्षम पाये गये डेवलपर के साथ कन्सेशन एग्रीमेंट किया जाएगा। कन्सेशन एग्रीमेंट के निष्पादन 6 माह के उपरांत फूड पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ हो सकेगा।

वर्ष 2011–12 का लक्ष्य एवं उसके विरूद्ध प्राप्ती

(रू लाख में)

क्र	विवरण	वर्ष 09–10 की उपलब्धियां	वर्ष 10–11 की उपलब्धियां	2011–12 का लक्ष्य	माह दिसम्बर 2011 की उपलब्धिया
1	विपणन– ट्रेक्टर,, ट्रेक्टर ड्रान उपकरण, पावर टिलर, पंपसेट, स्प्रिकलर,ड्रिप इरिगेशन टूलकिट,बैटरी, टायर–टयूब,पौध संरक्षण यंत्र थ्रेशर	13083.71	23,549.02	18936.47	19797.91
2	आर.टी.ई. बाडी एवं संयुक्त उपक्रम के माध्यम से	21,537.76	54,455.86	54455.85	52040.10
3	जीवाणु खाद	225.87	336.16	293.73	268.63
4	बायोगैस एसेसरीज	58.03	116.01	137.02	127.15
5	बैल चलित कृषि उपकरण	407.47	606.21	647.75	864.71
6	अन्य कार्यक्रम– टेलर टेंकर, व अन्य इंजिनियरिंग कार्य	519.12	1,472.37	810.58	1316.20
8	विविध	12411.19	17,536.66	14066.65	14409.27
9	रासायनिक खाद	3916.80	3,635.67	4442.42	3215.25
	कुल व्यवसाय	**52159.95**	**101707.96**	**93780.47**	**95039.22**

राष्ट्रीय वागवानी मिशन के अंतर्गत लागत मानदंड तथा अनुदान का विवरण

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
क्र.	अनुसंधान		आईसीएआर, सीएसआईआर तथा अन्य के अंतर्गत केन्द्र सरकार के संस्थान अपने विद्यमान बजट में से अनुसंधान एवं विकास कार्यो कों करेंगे जिसके लिए एक अनुसंधान परामर्शी समिति बल दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी।
ख.	**बागान आधारभूत ढांचा विकास**		
1.	**बागान सामग्री का उत्पादन**		
	(1) आदर्श/बड़ी नर्सरी (2 से 4 हेक्टेयर)	6.25 लाख रूपए प्रति हेक्टेयर यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत जोकि 25.00 लाख रूपए प्रति यूनिट तक सीमित होगी और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि अधिकतम 4 हेक्टेयर वाली किसी इकाई हेतु 12.50 लाख रूपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी तथा यह एक परियोजना आधारित क्रियाकलाप के आधार पर होगा। प्रत्येक नर्सरी प्रत्येक वर्ष वनस्पति प्रसार के माध्यम से अधिदेशित बारहमासी फल के पौधे/वृक्ष प्रजाति/बागान फसल के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पर न्यूनतम 50 हजार पौधें का उत्पादन करेगी।
	(2) छोटी नर्सरी (1 हेक्टेयर)	6.25	सार्वजनिक क्षेत्र को 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले के क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जोकि 3.25 लाख रूपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा के अधीन होगी तथा यह एक परियोजना आधारित क्रियाकलाप के आधार पर होगा। प्रत्येक नर्सरी प्रत्येक वर्ष वनस्पति प्रसार के माध्यम से अधिदेशित बारहमासी फल के पौधे/वृक्ष प्रजाति् बागान फसल के प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर पर न्यूनतम 50 हजार पौधें का उत्पादन करेगी।
	(3) विद्यमान टिशु कल्चर (टीसी) यूनिटों का पुनर्वास	15 लाख रूपए प्रति यूनिट, परियोजना आधारित क्रियाकलाप के रूप में	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
	(4) नई टीसी यूनिटों की स्थापना	100 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत। प्रत्येक टीसी यूनिट निर्देशित फसल की न्यूनतम 15 लाख पौधें का उत्पादन करेगी जिनके लिए वाणिज्यिक उपयोग हेतु प्रोटोकॉल उपलब्ध हों।
	(5) सब्जियों हेतु बीज उत्पादन तथा वितरण	50,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत जो कि प्रति लाभग्राही 5 हेक्टेयर तक सीमित होगा। आधार बीज के उत्पादन हेतु ब्रीडर बीज की मांग करने वाले संगठन आईसीएआर/एसएयू से ब्रीडर बीज की अधिप्राप्ति की लागत पर 25 प्रतिशत की सहायता हेतु पात्र होंगे।
	(7) बीज आधारभूत ढांचा (वागवानी फसलों के बीजों की हैण्डिलिंग प्रसंस्करण, पैकिंग, भंडारण आदि हेतु)	200 लाख रूपए प्रति परियोजना	सार्वजनिक क्षेत्र को लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के मामले में क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत।
2.	**नए बगीचों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)**		
	फल		
	(क) लागत प्रधन फसलें (प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र हेतु)		
	(1) बारहमासी फल – अंगूर स्ट्रोबेरी, किवी पैशन फल आदि	1,00,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 50,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में) पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध–4** में दी गई है।
	(2) गैर–बारहमासी फल – केला (सकर) तथा अनानास	70,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 35,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत जीवित रहने की दर के अधीन 75:25 की 2 किश्तों में) पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध–4** में दी गई है।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
	(3) केला (टीसी) तथा अनानास	1,00,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 50,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत जीवित रहने की दर के अधीन 75:25 की 2 किश्तों में) पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध–4** में दी गई है।
	(ख) उच्च घनत्व वाले पौधे (आम, अमरूद, लीची, बेर आदि)	80,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 40,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में) पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध–4** में दी गई है।
	(ग) सामान्य अंतर का उपयोग करते हुए लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त अन्य फल फसलें	40,000 रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 30,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 75 प्रतिशत बारहमासी फसलों हेतु दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में और गैर–बारहमासी फसलों हेतु दूसरे वर्ष में 90 प्रतिशत के जीवित रहने की दर के अधीन 2 किश्तों में 75:25)। पृथक फसल की निर्देशनात्मक लागत **अनुबंध–4** में दी गई है।
3.	**मशरूम**		
	(क) स्पॉन, खाद उत्पादन तथा प्रशिक्षण हेतु एकीकृत मशरूम यूनिट	50 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र हेतु आधारभूत ढांचे पर व्यय के लिए क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत।
	(ख) स्पॉन बनाने यूनिट	15 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र हेतु क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत।
	(ग) स्पॉन बनाने यूनिट	20 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र हेतु क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के रूप में लागत का 50 प्रतिशत।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
4.	**फूल (प्रति लाभग्राही अधिकतम 2 हेक्टेयर हेतु)**		
	(क) कटे फूल	70,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	छोटे तथा सीमान्त (एस एण्ड एम) किसानों को लागत का 50 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों को 33 प्रतिशत जोकि एस एण्ड एम किसानों हेतु अधिकतम 35,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु 23,100/– रूपए प्रति हेक्टेयर होगा।
	(क) कंदीय फूल	90,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	छोटे तथा सीमान्त (एस एण्ड एम) किसानों को लागत का 50 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों को 33 प्रतिशत जोकि एस एण्ड एम किसानों हेतु अधिकतम 45,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु 29,700/– रूपए प्रति हेक्टेयर होगा।
	(क) खुले फूल	24,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	छोटे तथा सीमान्त (एस एण्ड एम) किसानों को लागत का 50 प्रतिशत और अन्य श्रेणी के किसानों को 33 प्रतिशत जोकि एस एण्ड एम किसानों हेतु अधिकतम 12,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर और अन्य श्रेणी के किसानों हेतु 7,920/– रूपए प्रति हेक्टेयर होगा।
5.	**मसालें (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु)**		
	(क) बीज मसाले तथा रीझोमेटिक प्रजातियां	25,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 20,500/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिये लागत का 50 प्रतिशत)
	(ख) बारहमासी मसाले (काली मिर्च, दालचीनी, लॉग तथा जायफल)	40,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 20,05.00/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर व्यय को पूरा करने के लिये लागत का 50 प्रतिशत)
6.	**सुगंधित पौधे (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु)**		
	(क) लागत प्रधान सुगंधित पौधे (पटचोली, जिरेनियम, रोजमेरी आदि)	75,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50 प्रतिशत 37,500/– रूपए प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा की अधीन, बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु।
	(क) अन्य सुगंधित पौधे	25,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50 प्रतिशत 12,500/– रूपए प्रति हेक्टेयर की अधिकतम सीमा की अधीन, बागान सामग्री तथा आईएनएम/आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु।

7.	**बागान फसले (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु)**		
	काजू तथा कोको, पुनः पौधे लगाए जाने सहित	40,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	अधिकतम 20,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (बागान सामग्री तथा आईएनएम/ आईपीएम आदि हेतु सामग्री की लागत पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए लागत का 50 प्रतिशत) दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 90 प्रतिशत की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किश्तों में जोकि प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्रफल हेतु है।
8.	**जीर्ण बागानों का पुनरूद्धार/प्रतिस्थापन**	30,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर (औसत)	कुल लागत का 50 प्रतिशत जोकि प्रति लाभग्राही 2 हेक्टेयर तक हेतु अधिकतम 15,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर के अधीन है। दावा की जाने वाली वास्तविक लागत पुनरूद्धार की जाने वाली फसल की प्रकृति तथा आवश्यकता पर आधारित होती है।
9.	**जल स्त्रोतों का सृजन**		इस नरेगा के साथ क्रियान्वित किया जाएगा।
	(क) प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग के साथ खेत के तालाबों/खेत के पानी भंडारों पर सामुदायिक टैंक	मैदानी क्षेत्रों में 15 लाख रूपए प्रति यूनिट, पहाड़ी क्षेत्रों में 17.25 लाख रूपए प्रति यूनिट	100 मीटर ग 100 मीटर ग 3 मीटर के तालाब आकार अथवा अन्य किसी छोटे आकार के साथ 10 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्रफल हेतु प्रो–राटा आधार पर लागत का 100 प्रतिशत जाकि कमांड क्षेत्र, स्वामित्व तथा प्रबंधन समुदाय/किसान समूह द्वारा किए जाने पर निर्भर करेगा। काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्रों में गैर–लाइनवाले तालाबों/टंकियों में लागत 33 प्रतिशत कम होगी। एनएचएम के अंतर्गत सहायता प्लास्टिक/आरसीसी लाइनिंग की लागत तक सीमित है। तथापि गैर–मनरेगा लाभग्राहियों हेतु एनएचएम के अंतर्गत लाइनिंग की लागत सहित तालाब/टेंक के निर्माण की समूची लागत पर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
	(ख) व्यक्तियों हेतु जल संचयन प्रणाली 20 मीटर ग 20 मीटर ग 3 मीटर तालाब/खोदे गए कुंए हेतु 100/– रूपए घनमीटर की दर से।	मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रूपए प्रति यूनिट, पहाड़ी क्षेत्रों में 1.38 लाख रूपए प्रति यूनिट जो अधिकतम 2 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र हेतु है।	लाइनिंग सहित लागत का 50 प्रतिशत। छोटे आकार के तालाब /खोदे गए कुंए में लागत प्रो–राटा आधार पर देय होगी। यह भी नरेगा के साथ होगी। अनुरक्षण लाभग्राही द्वारा सुनिचित किया जाएगा।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
10.	**संरक्षित कृषि**		
	1. ग्रीन हाउस ढांचा		
	(क) पंखा तथा पैड प्रणाली	1465/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	(ख) प्राकृतिक वातायन प्रणाली		
	(1) टयूब्यूलर ढांचा	935/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	(2) लकड़ी का ढांचा	515/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 8 इकाइयों तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 500 वर्गमीटर से अधिक की न हो)
	(3) बांस का ढांचा	375/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाइयों तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक की न हो)
	2 प्लास्टिक मल्चिंग	20,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	प्रति लाभग्राही 2 हैक्टेयर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	3. छायादार जाली गृह		
	(1) टयूब्यूलर ढांचा	600/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 4000 वर्ग मीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	(2) लकड़ी का ढांचा	410/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाइयों तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक की न हो)
	(3) बांस का ढांचा	300/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 20 इकाइयों तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत (प्रत्येक यूनिट 200 वर्गमीटर से अधिक की न हो)
	4. प्लास्टिक टनल	300/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 1000 वर्गमीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	5. पक्षी–रोधी/वृष्टि–रोधी जाली	20/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 5000 वर्गमीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	6. पॉली हाउस में उगाई गई उच्च मूल्य सब्जियों की बागान सामग्री की लागत	105/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 500 वर्गमीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	7. पॉली हाउस में उगाये गये फूलों की बागान सामग्री की लागत	500/– रूपए प्रति वर्ग मीटर	प्रति लाभग्राही 500 वर्गमीटर तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
11.	**सटीकता कृषि विकास केन्द्रों (पीएफडीसी) के माध्यम से सटीकता कृषि विकास तथा विस्तार**	परियोजना आधारित	पीएफडीसी को लागत का 100 प्रतिशत

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
12.	**एकीकृत पोषण प्रबंधन (आईएनएम/एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) का संवर्धन**		
	(1) सेनेट्री तथा फाइटो सेनेट्री आधारभूत ढांचा (सार्वजनिक क्षेत्र)	500 लाख रूपए प्रति यूनिट	लागत का 100 प्रतिशत
	(2) आईपीएम/आईएनएम का संवर्धन	2000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर की सीमा तक अधिकतम 1000/– रूपए प्रति हेक्टेयर के अधीन लागत का 50 प्रतिशत
	(3) रोग पूर्वानुमान यूनिट (सार्वजनिक क्षेत्र)	4 लाख रूपए प्रति यूनिट	अधिकतम 4 लाख रूपए प्रति यूनिट
	(4) जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला	80 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 80 लाख रूपए प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र को पश्च सिरे वाली क्रेडिट संयोजित आर्थिक सहायता के रूप में 40.00 लाख रूपए
	(4) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक	20 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 20 लाख रूपए प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र को पश्च सिरे वाली क्रेडिट संयोजित आर्थिक सहायता के रूप में 10.00 लाख रूपए
	(4) पत्ती/ टिशू विश्लेषण प्रयोगशाला	20 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र हेतु 20 लाख रूपए प्रति यूनिट और निजी क्षेत्र को पश्च सिरे वाली क्रेडिट संयोजित आर्थिक सहायता के रूप में 10.00 लाख रूपए
13.	**आर्गेनिक कृषि**		
	(1) आर्गेनिक कृषि को अपनाना	20,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50 प्रतिशत जोकि प्रति लाभग्राही 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र हेतु 10000/– रूपए प्रति हेक्टेयर तक सीमित है, जो तीन वर्षो की अवधि तक फैला हुआ है जिसमें पहले वर्ष 4,000/– रूपए और दूसरे तथा तीसरे वर्ष प्रत्येक में 3,000/– रूपए की सहायता अंतर्ग्रस्त है। कार्यक्रम को प्रमाणीकरण के साथ संयोजित किया जाना है।
	(2) आर्गेनिक प्रमाणीकरण	परियोजना आधारित	50 हेक्टेयर के एक क्लस्टर हेतु 5 लाख रूपए जिसमें पहले वर्ष में 1.50 लाख रूपए, दूसरे वर्ष में 1.50 एवं तीसरे वर्ष में 2.00 लाख रूपए शामिल है।
	(3) वर्मी खाद यूनिट/आर्गेनिक आदान उत्पादन यूनिट	स्थायी ढांचे हेतु 60,000/– रूपए प्रति यूनिट और एचडीपीई वर्मीबेड हेतु 10,000/– रूपए प्रति यूनिट	स्थायी ढांचे के 30^{11} ग 8^{11} ग 2.5^{11} आयाम की इकाई के आकार के अनुरूप लागत का 50 प्रतिशत जिसे प्रो–राटा आधार पर प्रशासित किया जाना है। एचडीपीई वर्मीबेड हेतु 96 सीएफटी (12^{1} ग 4^{1} ग 2^{1}) के आकार की पृष्टि वाली लागत का 50 प्रतिशत जिसे प्रो–राटा आधार पर प्रशासित किया जाना है।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
14.	**अच्छे कृषि व्यवहारों (जीएपी) हेतु प्रमाणीकरण, आधारभूत ढांचे सहित**	10,000/– रूपए प्रति हेक्टेयर	लागत का 50 प्रतिशत
15.	**मधुमक्खी पालन के माध्यम से मकरंदीय समर्थन**		
	(क) न्यूक्लियस स्टाक का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र)	10 लाख रूपए	लागत का 50 प्रतिशत
	(ख) मधुमक्खी ब्रीडर द्वारा मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन	6 लाख रूपए	न्यूनतम 2000 कालोनी प्रति वर्ष उत्पादन हेतु लागत का 50 प्रतिशत
	(ग) मधुमक्खी कालोनी	4 फ्रैम वाली प्रति कालोनी हेतु 1400/– रूपए	प्रति लाभग्राही 50 कालोनियों तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	(घ) छत्ते	प्रति छत्ता 1600/– रूपए	प्रति लाभग्राही 50 कालोनियों तक सीमित लागत का 50 प्रतिशत
	(ड़) शहद निकालने वाले (4फ्रेम), फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलो), जाली आदि सहित उपकरण	प्रति सेट 14,000/–	प्रति लाभग्राही एक सेट सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत
16.	**वागवानी मशीनीकरण**		
	(क)विद्युत चलित मशीन/ उपकरण जिसमें विद्युत आरी तथा संयंत्र बचाव उपकरण आदि शामिल है	35,000/– रूपए प्रति सेट	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत
	(ख) रोटावेटर/उपकरण के साथ विद्युत मशीने (20 बीएचपी तक)	1.20 रूपए प्रति सेट	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत
	(ग) विद्युत मीशनें (20 एचपी तथा उसे अधिक) एक्सेसरीज/उपकरण सहित	3.00 रूपए प्रति सेट	प्रति लाभग्राही एक सेट के सीमित होने तक लागत का 50 प्रतिशत
	(घ) प्रदर्शन प्रयोजन हेतु वागवानी के लिए नई मशीनों तथा उपकरणों का आयात (सार्वजनिक क्षेत्र)	50.00 लाख रूपए प्रति मशीन	कुल लागत का 100 प्रतिशत
17.	**प्रदर्शन/फ्रंट लाइन प्रदर्शन (एफएलडी) के माध्यम से तकनोलाजी प्रसार**	25.00 लाख रूपए	किसानों के खेतों में लागत का 75 प्रतिशत और सार्वजनिक क्षेत्र एसएयू आदि के स्वामित्व वाले फार्मों में लागत का 100 प्रतिशत
18.	**मानव संसाधन विकास (एचआरडी)**		
	(क) पर्यवेक्षकों तथा उद्यानिकी हेतु एचआरडी	20.00 लाख रूपए प्रति प्रशिक्षण	पहले वर्ष में लागत का 100 प्रतिशत। बाद के वर्षों में आधारभूत ढांचे की लागत का दावा नहीं किया जाएगा।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
	(ख) मालियों हेतु एचआरडी	15.00 लाख रूपए प्रति प्रशिक्षण	पहले वर्ष में लागत का 100 प्रतिशत। बाद के वर्षों में आधारभूत ढांचे की लागत का दावा नहीं किया जाएगा।
	(ग) किसानों का प्रशिक्षण		
	(1) जिले के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 400/– रूपए प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	(2) राज्य के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 750/– रूपए प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	(3) राज्य के बाहर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 1000/– रूपए प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	(घ) किसानों का प्रभावन दौरा		
	(1) जिले के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 250/– रूपए प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	(2) राज्य के भीतर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 300/– रूपए प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	(3) राज्य के बाहर	परिवहन के अतिरिक्त प्रति किसान 600/– रूपए प्रतिदिन	लागत का 100 प्रतिशत
	(4) भारत से बाहर	प्रति प्रतिभागी 3 लाख रूपए	परियोजना आधारित। वायु/रेल यात्रा लागत का 100 प्रतिशत
	(ड़) तकनीकी स्टाफ/फील्ड कार्यकारियों का प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा		
	(1) राज्य के भीतर	प्रति प्रतिभागी 200/– रूपए प्रति दिन जमा देय होने के अनुसार यात्रा व्यय/दैनिक व्यय	लागत का 100 प्रतिशत
	(2) प्रगामी राज्यों/इकाईयों का अध्ययन दौरा (न्यूनतम 5 प्रतिभागियों का समूह)	प्रति प्रतिभागी 650/– रूपए प्रति दिन जमा देय होने के अनुसार यात्रा व्यय/दैनिक व्यय	लागत का 100 प्रतिशत
	(3) भारत से बाहर	प्रति प्रतिभागी 5 लाख रूपए	वास्तविक आधार पर लागत का 100 प्रतिशत

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
19.	**एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन**		
	(1) पैक हाउस/फार्म पर एकत्रीकरण तथा भण्डारण यूनिट	9 मीटर 6 मीटर आकार वाली प्रति यूनिट हेतु 3 लाख रूपए	पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत
	(2) प्री–कूलिंग यूनिट	6 एमटी क्षमता हेतु 15 लाख रूपए	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।
	(3)मोबाइल प्री–कूलिंग यूनिट	5 एमटी क्षमता हेतु प्रति यूनिट 24 लाख रूपए	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।
	(4) कोल्ड स्टोरेज यूनिट (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण)	5000 एमटी क्षमता हेतु प्रति एमटी 6000 रूपए	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता केवल उन्ही यूनिटों के संबंध में जो नई तकनोलॉजियों को अपनाती है, जो कि इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण तथा मल्टी चैम्बर के साथ फिन काइल कूलिंग प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा दक्ष है। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैरामीटर तथा प्रोटोकॉल अपनाए जाएं।
	(5) सीए/एमए भण्डारण यूनिट	5000 एमटी क्षमता हेतु प्रति एमटी 32,000 रूपए	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता केवल उन्ही यूनिटों के संबंध में जो नई तकनोलॉजियों को अपनाती है, जो कि इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण तथा मल्टी चैम्बर के साथ फिन काइल कूलिंग प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा दक्ष है। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैरामीटर तथा प्रोटोकॉल अपनाए जाएं।
	(6) रेफर वैन/कंटेनर	6 एमटी क्षमता हेतु प्रति यूनिट 24 लाख रूपए	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता केवल उन्ही यूनिटों के संबंध में जो नई तकनोलॉजियों को अपनाती है, जो कि इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण तथा मल्टी चैम्बर के साथ फिन काइल कूलिंग प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा दक्ष है। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैरामीटर तथा प्रोटोकॉल अपना

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
	(7)प्राथमिक/मोबाइल/न्यून तम प्रसंस्करण यूनिट	24 लाख रूपए प्रति यूनिट	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता केवल उन्ही यूनिटों के संबंध में जो नई तकनोलॉजियों को अपनाती है, जो कि इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण तथा मल्टी चैम्बर के साथ फिन काइल कूलिंग प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा दक्ष है। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैरामीटर तथा प्रोटोकॉल अपना
	(8) पकाने वाला चैम्बर	5000 एमटी क्षमता हेतु प्रति एमटी 6000 रूपए	सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पच सिरे वाली आर्थिक सहायता केवल उन्ही यूनिटों के संबंध में जो नई तकनोलॉजियों को अपनाती है, जो कि इन्सूलेशन, आर्द्रता नियंत्रण तथा मल्टी चैम्बर के साथ फिन काइल कूलिंग प्रणाली के प्रावधान सहित ऊर्जा दक्ष है। विभाग द्वारा जारी तकनीकी मानक, पैरामीटर तथा प्रोटोकॉल अपना
	(9) ईवैपोरेटिव/कम उर्जा वाला शीत चैम्बर (8 एमटी)	4 लाख रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(10) बचाव यूनिट (निम्न लागत)	नई यूनिट हेतु 2 लाख रूपए प्रति यूनिट और उन्नयन हेतु 1 लाख रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(11) निम्न लागत प्याज भण्डारण ढांचा (25 एमटी)	1 लाख रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	(12) पूसा शून्य उर्जा ठण्डा ढांचा (100 किलोग्राम)	4000 रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
20.	**बागवानी उत्पाद हेतु विपणन आधारभूत विपणन आधारभूत ढांचे की स्थापना**		
	1. टर्मिनल बाजार	प्रति परियोजना 150 करोड़ रूपए	पृथक रूप से जारी प्रचालनात्मक दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बिडिंग के माध्यम से सार्वजनिक–निजी भागीदारी के रूप में 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत (50.00 करोड़ रूपए तक सीमित)
	2. थोक बाजार	प्रति परियोजना 100 करोड़ रूपए	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 35.33 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
	3. ग्रामीन बाजार/अपनी मंडियां/प्रत्यक्ष बाजार	20 लाख रूपए प्रति यूनिट	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।
	4. खुदरा बाजार/आउसलेट (पर्यावरणीय नियंत्रित)	10 लाख रूपए प्रति यूनिट	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।
	5. स्थिर/मोबाइल वेंडिंग कार्ट/शीत चेम्बर के साथ प्लेटफार्म	30,000 रूपए प्रति यूनिट	कुल लागत का 50 प्रतिशत
	6. एकत्रीकरण, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिटों आदि हेतु कार्यात्मक आधारभूत ढांचा	15 लाख रूपए प्रति यूनिट	पृथक उद्यमियों हेतु सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 40 प्रतिशत और पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 55 प्रतिशत की दर से क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता।
	7. गुणवत्ता नियंत्रण/विलेषण प्रयोगशाला	200 लाख रूपए प्रति यूनिट	सार्वजनिक क्षेत्र को कुल लागत का 100 प्रतिशत और निजी क्षेत्र को क्रेडिट संयोजित पश्च सिरे वाली आर्थिक सहायता के द्वारा 50 प्रतिशत
	8. बाजार विस्तार, गुणवत्ता जागरूकता और नए उत्पादों हेतु बाजार नेतृत्व वाले विस्तार क्रियाकलाप	प्रति कार्यक्रम 3 लाख रूपए	राज्य सरकार/एसएचएम / सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों को 100 प्रतिशत सहायता।
21.	**विशेष हस्तक्षेप**		
	एसएचएम की आकस्मिक/अप्रत्याशित आवश्यकताओं से निपटना	10 लाख रूपए प्रति परियोजना	परियोजना प्रस्ताव पर आधारित लागत का 50 प्रतिशत
22.	**मिशन प्रबंधन**		
	1. राज्य स्तर		
	1. राज्य तथा जिला मिशन कार्यालय और क्रियान्वयन एजेंसिया प्रशासनिक व्ययों, फील्ड परामर्शों, परियोजना, तैयारी, कम्प्यूटरी, आकस्मिकता आदि हेतु	राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम)/ क्रियान्वयन एजेंसियों को अवगत आवश्यकता के आधार पर कुल वार्षिक व्यय का 5 प्रतिशत	100 प्रतिशत सहायता

क्र. सं.	मद	अधिकतम अनुमेय लागत	सहायता का विवरण
	2. संस्थागत सुदृढीकरण वाहनों को किराए पर लिया जाना, हार्डवेयर/साफ्टवेयर आदि की खरीद	परियोजना आधारित	100 प्रतिशत सहायता
	3. संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां, किसान मेला, बागवानी शो, शहद महोत्सव आदि		
	(क) राज्य स्तर	3 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम	100 प्रतिशत सहायता जोकि दो दिवस के कार्यक्रम हेतु अधिकतम 3.00 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम के अधीन होगी
	(ख) जिला स्तर	2 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम	100 प्रतिशत सहायता जोकि दो दिवस के कार्यक्रम हेतु अधिकतम 2.00 लाख रूपए प्रति कार्यक्रम के अधीन होगी
	4. राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) विशेषज्ञों/स्टाफ को लेने, अध्ययन, प्रबोधन तथा मूल्यांकन, मास मीडिया, प्रचार, वीडियों कान्फ्रेन्सिंग आदि	परियोजना आधारित, 50 लाख रूपए प्रति वर्ष प्रति राज्य की सीमा के अधीन	लागत का 100 प्रतिशत
	2. राष्ट्रीय स्तर		
	1. राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) विशेषज्ञों/परार्मादाताओं को लेने, अध्ययन, संगोष्ठियां/सम्मेलन/ कार्यशालाएं, प्रशिक्षण, आकस्मिकताएं, प्रबोधन तथा मूल्यांकन, मास मीडिया, प्रचार वीडियों कान्फ्रेन्सिंग आदि	5 करोड़ रूपए प्रति वर्ष	लागत का 100 प्रतिशत
	2. एफएओ, विश्व बैंक, एडीबी, जैसी अंतराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तकनीकी सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग, अंतराष्ट्रीय प्रभावन दौरे/पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आदि	परियोजना आधारित। वास्तविक लागत आधार पर।	लागत का 100 प्रतिशत

राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन अन्तर्गत

चुनिंदा फल फसलों के प्रति हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार की निर्देशात्मक लागत

फसल	पौधे में अंतर (मीटर)	प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या	बागान सामग्री की लागत	आदानों की लागत	कूल
ऑवला	6x6	278	8340	15000	23340
ऑवला	3x3	1110	33300	25000	58300
केला (संकर)	2x2	2500	20000	25000	45000
केला (टी.सी.)	1.8x1.8	3086	43204	40000	83204
बेर	6x6	278	6950	12000	18950
नींबू प्रजाति					
क. मंदारिन	6x6	278	8340	27000	35340
ख. मीठा संतरा	6x6	278	8340	25000	33340
अंगूर	4x4	625	6250	85000	91250
अंगूर	3x3	1110	11100	90000	101100
अमरूद	6x6	278	6950	15000	21950
आम	10x10	100	4000	18000	22000
आम	2.5x2.5	1600	64000	40000	104000
अनार	5x5	400	12000	30000	42000
अनार	5x3	667	20010	35000	55010

परिशिष्ट–2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 2009–10 तक की प्रगति पत्रक

कं.	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		रिमार्क
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना (जैविक खैती)	संख्या	2	45.00	2	45.00	
2	पहाड़ी क्षेत्र में कृषक प्रशिक्षण केन्द्र	संख्या	1	15.00	1	15.00	
3	मल्टी स्टोरी आचर्ड	एकड	1011	454.92	1011	454.92	
4	प्याज भण्डार	संख्या	125	340.35	125	340.35	
5	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई	संख्या	1200	180.00	1200	180.00	
6	नर्सरी विकास	संख्या	25	304.25	25	304.25	
7	कृषक भ्रमण	संख्या	845	21.12	845	21.12	
8	प्लास्टिक क्रेटस का वितरण	सख्या	97560	121.95	97560	121.95	
9	पान विकास	संख्या	805	241.41	805	241.41	
10	संकर सब्जी बीज वितरण	संख्या	5263	21.05	5263	21.05	
11	केला विकास	हेक्टर	32.5	20.15	32.5	20.15	
12	पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	हेक्टर	150	22.50	150	22.50	
13	कार्यालयीन व्यय	संख्या	-	15.63	-	15.63	
	योगः–			**1732.08**		**1732.08**	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 2010–11 तक की प्रगति पत्रक

कं.	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		रिमार्क
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्याज भण्डार	संख्या	773	1327.15	458	800.95	
2	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई	संख्या	2229	335.50	2229	334.37	
3	प्रक्षेत्र एवं रोपणी विकास	संख्या	34	425.95	25	365.10	
4	प्लास्टिक क्रेटस का वितरण	संख्या	218600	365.77	218600	273.25	
5.	बीज उत्पादन प्रक्षेत्र विकास	संख्या	4	100.00	3	75.00	
6	संकर बीज वितरण	संख्या	36300	145.20	36300	145.20	
7	पान की .खेती	संख्या	2301	724.20	2301	690.30	
8	केला विकास	सख्या	76.53	47.45	50	30.61	
9	कृषक भ्रमण	संख्या	1200	39.75	1200	39.74	
10	पेक हाऊस	संख्या	109	370.00	55	87.50	
11	जिर्णोद्धार	हेक्टर	417	87.00	142	21.30	
12	कार्यालयीन व्यय	संख्या		39.67		26.73	
13	माईक्रो इरीगेशन	हेक्टर	683	300.00	525	218.48	
14	तरल जैविक संयंत्र की स्थापना (एम.पी.एग्रो)	संख्या	-	450.00	-	0	
	योगः–			**4762-14**	-	**3108.53**	

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में दिसम्बर 2011 तक की प्रगति पत्रक

क्रं.	नाम योजना	इकाई	लक्ष्य		पूर्ति		रिमार्क
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पान की .खेती		560	168-00	0	0	
2	कृषक भ्रमण		800	20-00	0	0	
3	जीर्णोद्धार		167	25-00	0	0	
4	प्याज भण्डार		313	500-00	0	0	
5.	माईक्रो इरीगेशन		9173	1000-00	7338-4	802-97	
6.	संरक्षित खेती		0	100.00	0	0	
7.	माईक्रो न्यूटन टेस्टिंग		0	100.00	0	0	
8.	कार्यालयीन व्यय		0	19.13	0	0	
	योगः–			**1932.13**		**802.97**	

परिशिष्ट–3

मध्यप्रदेश राज्य औषधीय पौध मिशन अन्तर्गत विगत दो वर्षो का आवंटन व्यय

(राशि लाख में)

क्र.	नाम घटक	इकाई	वर्ष 2010–11					वर्ष 2011–12				
			लक्ष्य		प्राप्त राशि	पूर्ति				प्राप्त राशि	पूर्ति	
			भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		भौतिक	वित्तीय
1.	मॉडल नर्सरी (शास.)	संख्या	5	100	75-00		79-02	24	16	75-00		4-02
2.	छोटी नर्सरी (शास.)	संख्या	9	36	27-00		13-04	21	36	27-00		5-92
3.	मॉडल नर्सरी (निजी)	संख्या	7	70	52-50		0	8	70	52-50		52-50
4.	छोटी नर्सरी (निजी)	संख्या	22	44	33-00		0	9	44	33-00		33-00
	('1)योग							**62**	**250**	**187-50**		**95-44**
5.	कल्टीवेशन ऑफ मेडीशनल क्रॉप (2010–11)	हे0	12560	912-57	684-42	10702 -55	647-944					36-48
	कल्टीवेशन ऑफ मेडीशनल क्रॉप	हे0						4672	287-323	215-492	3431	22-67
6.	जैविक खेती प्रमाणीकरण एवं उत्कृष्ट कृषि क्रियाए	हे0	2000	200		0	*4-62	1850	55-50	0	1850	0
7.	फसलोत्तर प्रबंधन											
	शासकीय क्षेत्र											
	(अ)ड्राईग शेड	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ब)स्टोरेज गोडाऊन	संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	निजी क्षेत्र											
	(अ)ड्राईग शेड	संख्या	18	45	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ब)स्टोरेज गोडाऊन	संख्या	16	40	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	फसल प्रबंधन	हे0	1000	32-40	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	प्रोसेसिंग एण्ड वैल्यु एडीशन											
	1.प्रोसेसिंग यूनिट		68	310	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर		2	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.हर्बल फेयर		2	20-00	0	0	*10-00	0	0	0	0	0
10	मैनेजमेंट सपोर्ट (5 प्रतिशत)			110-50	43-59		9-22		21-962	11-525		1-09
	योग			2320-47	915-51		763-844		634-785	429-517		170-68
11	परियोजना आधारित कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण								0	0	0	0
12.	1.प्रदेश के अन्दर	संख्या	1230	12-75	12-73	1230	12-62	0	0	0	0	0
	2.प्रदेश के बाहर	संख्या						0	0	0	0	0
	3.राज्य स्तरीय कार्यशाला	संख्या	4	8-00		4	*8-00	0	0	0	0	0

- उक्त राशि मिशन प्रबन्धन से व्यय की गई है। यह राशि भारत सरकार से लिया जाना शेष है ।
- वर्ष 2009–10 में स्वीकृत नर्सरियों में व्यय की गई है ।
- राशि भारत सरकार से प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।